वार्षिक तिवेदनः2011-12

(ANNUAL REPORT, 2011-12)

महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GURANTEE SCHEME)

छ तिसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी राज्य कोष्ठ

विषय सूची

1	संदेश	3–8
2	प्रस्तावना	9
3	मुख्यांश	11
4	छत्तीसगढ–सामान्य परिचय	13
5	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारंटी योजना लक्ष्य, प्रमुख विशेषताएं एवं स्वीकार्य परियोजनाएं	14–18
6	शिकायत निवार.ा प्र.ाली	19–20
7	श्रम बजट	21–25
8	प्रबंध सूचना प्र.ाली	26–27
9	सामाजिक अंकेक्ष.ा	28–32
10	लोकपाल	33–35
11	मजदूरी भुगतान	36–37
12	वित्तीय प्रगति एवं भौतिक प्रगति	38–60
13	परिशिष्ट	61–64
13	फोटोग्राफ्स	65–75

डॉ. रमन सिंह
मुख्य मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

संदेश

मुझे यह जान कर हर्ष है कि पंचायत एवं ग्रामी.ा विकास विभाग द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 प्रकाशित किया जा रहा है ।

महात्मा गांधी नरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें हर काम में पारदर्शिता देखी जा सकती है, पारदर्शिता के रूप में स्वतंत्र लोकपाल की नियुक्ति, टोल फ्री व ऑनलाईन शिकायत निवार.ा प्र.ाली तथा सामाजिक अंकेक्ष.ा जैसे माध्यमों से योजना क्रियान्वयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बरती जा रही है।

सामाजिक अंकेक्ष.ा के माध्यम से प्रत्येक कार्य का ब्यौरा आम जन हेतु खुले मंच में प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन हेतु ग्राम सभा में प्रदर्शित किया जाता है। सामाजिक अंकेक्ष.ा करने का अधिकार भी आम जनता को ही प्रदान किया गया है, जो प्रत्येक कार्य के एक–एक पैसे का हिसाब क्रियान्वयन एजेंसी से प्राप्त करता है।

योजना के विभिन्न पहलूओं एवं उपलब्धियों को आम जन से अवगत कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक पुस्तिका का प्रकाशन, विभाग द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन, सफलता व निरंतरता का द्योतक है।

मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तिका आप सभी के लिए लाभकारी एवं उपयोगी साबित होगी।

शुभकामनाओं सहित!

(डॉ. रमन सिंह)

हेमचन्द यादव
मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
विधि एवं विधायी कार्य

संदेश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक हैं।

महात्मा गाँधी नरेगा का क्रियान्वयन प्रदेश में तीन चरणों में लागू किया गया है। योजना के क्रियान्वयन से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, आज प्रदेश के 9734 ग्राम पंचायतों के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 2657441 परिवार अकुशल शारीरिक श्रम के माध्यम से अपना जीवन स्तर को ऊँचा उठा रहें हैं। योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में होने वाले पलायन में कमी आई है। साथ ही साथ ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने से उनकी क्रय शक्ति में भी वृद्धि हुई है।

महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी से वे आर्थिक रूप से सम्पन्न हुई हैं। महात्मा गांधी नरेगा की ही देन है कि आज बैंक एवं पोस्ट ऑफिसों में ग्रामीणों (पति–पत्नी) का पृथक–पृथक खाते खोले गये है, इससे ग्रामीणों में बचत की भावना विकसित हुई है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के इस कार्यक्रम को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा योजना से संबंधित जानकारियों एवं प्रगति का समावेश करते हुए वार्षिक रिपोर्ट पुस्तिका 2011–12 का प्रकाशन किया जा रहा है ।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका आम जनता के लिए लाभकारी एवं उपयोगी साबित होगी ।

शुभकामनाओं सहित

(हेमचन्द यादव)

ओम प्रकाश राठिया
संसदीय सचिव, छ.ग.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
विधि एवं विधायी कार्य

संदेश

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारंटी स्कीम, एक हितग्राहीमूलक कार्यक्रम है जो न सिर्फ ग्रामी.ाों को 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराती है, बल्कि उनकी भूमि विकास का कार्य कराती है। प्रदेश के 164623 परिवार ने अपने स्वयं की भूमि पर महात्मा गाँधी नरेगा का लाभ उठाकर आज अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया है।

योजना क्रियान्वयन से आज बड़ी संख्या में ग्रामी.ाों में बचत की भावना जागृत हुई है, जो कि प्रदेश के बैंक एवं डाकघरों में खोले गये कुल–6950746 खातों से स्वतः ही परिलक्षित होता है।

महात्मा गाँधी नरेगा की वित्तीय वर्ष 2011–12 की जानकारियों की वार्षिक पुस्तिका का प्रकाशन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इस प्रयास के लिये शुभकामनाएँ ।

(ओम प्रकाश राठिया)

प्रस्तावना

देश के ग्रामी.ा क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजिविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारटी अधिनियम 2005 दिनांक 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारटी अधिनियम 2005 की अधिसूचना दिनांक 07 सितम्बर 2005 को जारी की गई।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गांरटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ में 02 फरवरी 2006 से प्रथम चर.ा में 11 जिले (बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया,रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा), द्वितीय चर.ा में दिनांक 01 अप्रैल 2007 से चार जिले (रायपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा एवं महासमुंद) तथा तृतीय चर.ा में दिनांक 01 अप्रैल 2008 से जिला दुर्ग के शामिल होने तथा बस्तर एवं दंतेवाड़ा से पृथक नाराय.ापुर एवं बीजापुर सहित प्रदेश के कुल 18 जिलो में यह योजना प्रभावशील है।

अधिनियम के अंतर्गत ग्रामी.ा क्षेत्र के परिवार के व्यस्क सदस्य को मांगने पर 1 वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के अकुशल मजदूरी के लिये रोजगार की गांरटी दी गई है। योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। कार्य उपलब्ध नहीं होने पर काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है।

मुख्यांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारंटी स्कीम छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रगति का मुख्यांश :–

- प्रदेश में 41.20 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी।
- मांग के आधार पर 26.57 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- योजनांतर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि 1638.55 करोड़ रूपये प्राप्त हुए।
- राज्य सरकार द्वारा जारी राज्यांश की राशि 178.69 करोड़ रू प्राप्त हुए ।
- प्रदेश में योजनांतर्गत कुल उपलब्ध राशि रूपए 2492.95 करोड़ ।
- प्रदेश में योजनांतर्गत दिनांक 31.03.2012 तक कुल व्यय राशि रूपए 2046.10 करोड़ ।
- प्रदेश में योजनांतर्गत कुल–92806 कार्य पू.ा।
- प्रदेश में योजनांतर्गत कुल–82363 कार्य प्रगतिरत।
- योजनांतर्गत बैंक एवं डाकघर में कुल–6950746 खाते खोले गए।
- प्रदेश में योजनांतर्गत कुल–1200.17 लाख मानव दिवस सृजित।
- प्रदेश में योजनांतर्गत महिलाओं द्वारा कुल–580.92 लाख (48%) मानव दिवस सृजित।
- योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा कुल–166.48 लाख (14%) मानव दिवस सृजित।
- योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा कुल–449.26 लाख (38%) मानव दिवस सृजित।
- योजनांतर्गत ग्रामी.ा क्षेत्रों में 1462.86 करोड़ रूपए (72 %) की मजदूरी का भुगतान।

छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय

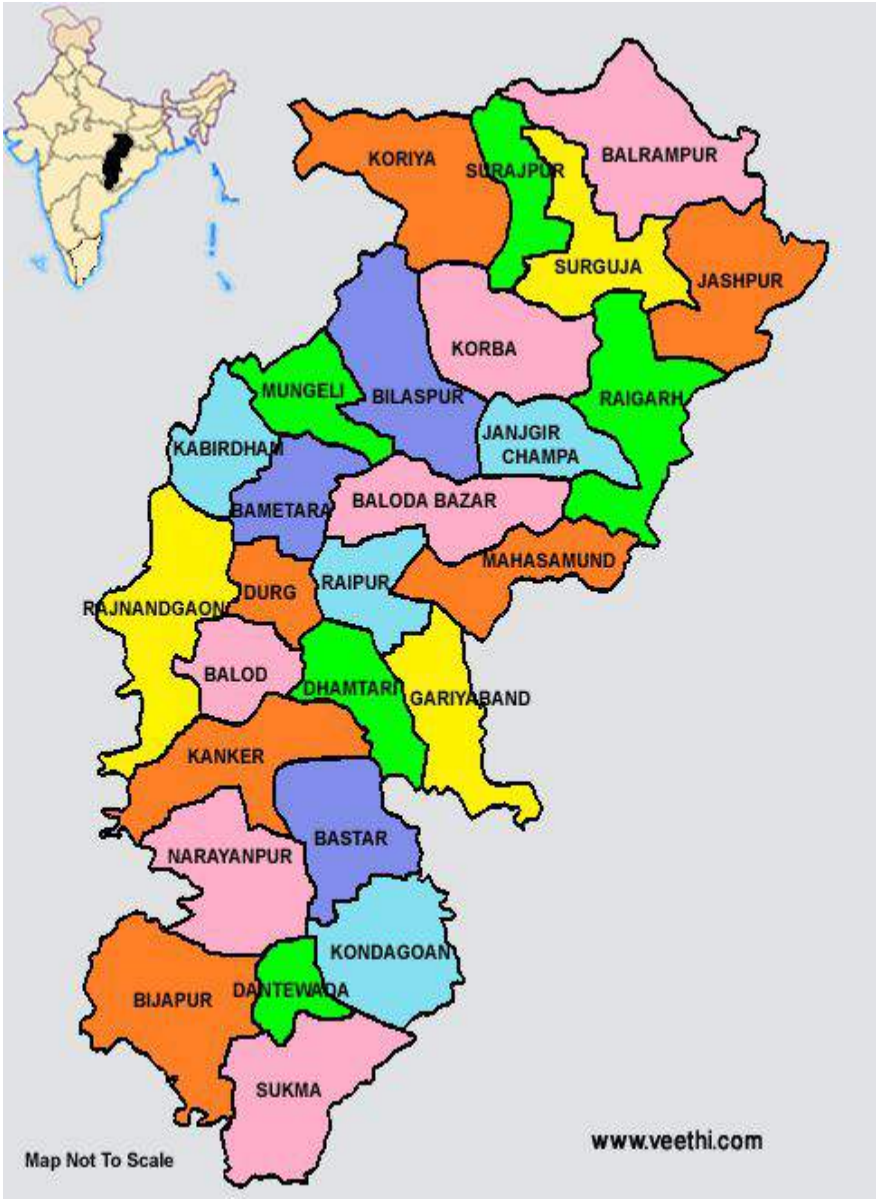

छत्तीसगढ़ राज्य 17'46 अंश से 24'5 अंश उत्तरी अक्षांश तक तथा 80'15 अंश से 84'24 अंश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। छ.ग. एक भूआवेष्ठित प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं 6 राज्यों को छूती है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल अंतिम आकड़ों के अनुसार 135361 वर्ग कि.मी. है। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ देश का 9 वां राज्य है। छत्तीसगढ़ की आकृति सी–हार्स मछली के समान है। छत्तीसगढ़ राज्य उष्ा कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। राज्य में कृषि में निरा बोया गया क्षेत्रफल 4823863 हे. अर्थात कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 51.57 प्रतिशत भाग निरा बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया है, क्षेत्र जनग.ाना की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,146 है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 27 जिले है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 11.61 है वहीं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 31.76 है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गांरटी अधिनियम का उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताएं

1.1 अधिनियम का उद्देश्य :–

इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामी.ा क्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्त वर्ष में 100 दिवस का गांरटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक हैं।

1.2 महात्मा गांधी नरेगा के लक्ष्य

क. रोजगार के अन्य विकल्प कम या अपर्याप्त होने की स्थिति में उपेक्षित समूहों को रोजगार के अन्य स्त्रोतों से रोजगार मुहैया कराकर उनके लिए सशक्त सामाजिक सुरक्षा तंत्र।

ख. कृषि अर्थव्यवस्था के स्थाई संवृद्धि का विकास का वाहक। सूखा, वनों की कटाई और मृदा क्षर.ा जैसे अत्यंत गरीबी के कार.ाों को दूर करने वाले कार्यो के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने की प्रक्रिया के जरिए, यह अधिनियम ग्रामी.ा क्षेत्रों में ग्रामी.ा आजीविका के प्राकृतिक संसाधन आधार को सुदृढ़ करने और टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों का सृजन करने का प्रयास करता है। यदि इसे कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाए, तो महात्मा गांधी नरेगा में गरीबी की दशा को बदल देने की क्षमता है।

ग. अधिकार आधारित कानून की प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्रामी.ा निर्धन का सशक्तिकर.ा ।

घ. पारदर्शिता और जमीनी स्तर के प्रजातंत्र के सिद्धांतों के आधार पर शुरू किए गए प्रशासनिक सुधार के मॉडल के रूप में कार्य करने के नए तरीके।

इस प्रकार, महात्मा गांधी नरेगा बुनियादी मजदूरी सुरक्षा और ग्रामी.ा अर्थव्यवस्था को पुनः सक्रिय बनाने से लेकर लोकतंत्र की रूपांतरात्मक सशक्तिकर.ा प्रक्रिया तक समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है।

1.3 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं :–

1. अकुशल शारीरिक श्रम वाले कार्य की इच्छा रखने वाले ग्रामी.ा परिवार के वयस्क सदस्य, स्थानीय ग्राम पंचायतों को लिखित या मौखिक रूप से पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते है।
2. ग्राम पंचायत विधिवत सत्यापन के बाद रोजगार कार्ड जारी करेगी। रोजगार कार्ड मे महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य करने के इच्छुक सभी वयस्क सदस्यों का फोटोग्राफ लगा होगा और यह निःशुल्क है।
3. रोजगार आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

4. रोजगार कार्ड धारक ग्राम पंचायत को रोजगार के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसमें मांगे गए काम का समय एवं समयावधि का उल्लेख हो।
5. ग्राम पंचायत रोजगार के लिखित आवेदन की तारीखयुक्त पावती देगी, जो 15 दिनों के भीतर रोजगार देने का आधार होगी।
6. रोजगार कार्य के लिए आवेदन दिए जाने के 15 दिनों के भीतर दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं होता है तो अधिनियम के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाए।
7. काम साधार.ातः गांव के 5 कि.मी. के दायरे में दिया जाना चाहिए। यदि काम 5 कि.मी. के दायरे से बाहर दिया जााता है तो अतिरिक्त परिवहन और खाने–पीने के खर्चो को पूरा करने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
8. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में यह दर 132 रू. प्रति दिवस है जो टास्क आधारित है। पुरूष तथा महिला दोनों को समान मजदूरी दी जाएगी।
9. मजदूरी भुगतान पीस दर या दैनिक दर के अनुसार किया जाएगा। मजदूरी का विवर.ा सप्ताह में एक बार किया जाएगा और किसी भी तरह से यह समय 15 दिवस से अधिक नहीं होगा।
10. येाजना के अंतर्गत पंजीयन करने वालों और काम के लिए आवेदन करने वालों में कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाए होंगी।
11. कार्यस्थल पर झूलाघर, पेयजल, विश्रामगृह जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।
12. ग्राम सभा गांव के लिए परियोजनाओं की सूची में से कार्यों की सिफारिश करेगी और इसे अनुमोद पश्चात जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
13. ग्राम पंचायतों को कम से कम 50 प्रतिशत कार्य निष्पादित करने के लिए आबंटित किए जाएंगे।
14. अनुज्ञेय कार्यो में मुख्य रूप से जल एवं मृदा सरंक्ष.ा, वनरोप.ा और भूमि विकास कार्य शामिल है।
15. मजदूरी और सामग्री में 60:40 का अनुपात रखा जाना है। ठेकेदारों और मशीनों की अनुमति नहीं है।
16. केन्द्र सरकार कुशल और अर्ध–कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित अकुशल शारीरिक श्रम की शत–प्रतिशत मजदूरी लागत और 75 प्रतिशत सामग्री लागत का वहन करती है।
17. ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्ष.ा किया जाएगा।
18. उत्तरदायी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवार.ा तंत्र बनाया गया है।
19. योजना से संबंधित सभी खाते और रिकार्ड सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे।

पंजीकर.ा के लिए आवेदन

1. पंजीकर.ा कि लिए सादे कागज पर आवेदन दिया जा सकता है। यह आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत के पास जमा कराया जाएगा। आवेदन पत्र में परिवार के उन सभी वयस्क सदस्यों के नाम होने चाहिए जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। उनकी उम्र, लिंग और अनुसूचित जाति/जनजाति श्रे.ाी आदि का भी उल्लेख होना चाहिए।
2. पंजीकर.ा के लिए पंचायत के समक्ष मौखिक रूप से भी आग्रह किया जा सकता है।
3. पंजीकर.ा के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करते हुए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी है या नहीं, आवेदन देने वाला व्यक्ति वयस्क है या नहीं।
4. आवेदन, पंजीकर.ा और पुष्टि की उपरोक्त पद्धति के बावजूद अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू होने से पहले ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाएगी। ग्राम सभा की इस बैठक में अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की जाएगी, पंजीकर.ा के लिए प्राप्त आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी।
5. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकर.ा कराने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान के लिए घर–घर जाकर भी सर्वेक्ष.ा किया जा सकता है। सर्वेक्ष.ा करने वाली टीम ग्राम पंचायत के मुखिया की देख रेख में काम करेगी और उसमें वॉर्ड सदस्यों, अनुसूचित जाति/जनजाति निवासियों, महिलाओं, ग्राम स्तरीय सरकारी कर्मचारियों और ग्राम पंचायत सचिव की भी सक्रिय हिस्सेदारी रहेगी। इस काम के लिए ब्लॉक/ जिला स्तर पर सर्वेक्ष.ा टोली के सदस्यों का आवश्यक अभिविन्यास किया जा सकता है।
6. जो परिवार साल में कुछ समय के लिए रोजी रोटी के लिए अन्यत्र पलायन करते हैं, ऐसे परिवारों को भी रोजगार का मौका उपलब्ध कराने के लिए पंजीकर.ा की प्रक्रिया ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्यालय समय के निर्धारित सामान्य समय में पूरे साल जारी रहेगी।
7. पुष्टि की प्रकिया शीघ्रातिशीघ्र पूरी कर ली जाएगी और किसी भी सूरत में किसी आवेदन की जांच के लिए 15 दिनों से ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा।
8. पुष्टि के बाद ग्राम पंचायत संबंधित आवेदन में दिए गए विवर.ाों को ग्राम पंचायत के पास मौजूद पंजीकर.ा रजिस्टर में दर्ज करेगी।
9. प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक विशिष्ट पंजीकर.ा नंबर जारी किया जाएगा।
10. पंजीकर.ा की प्रतियां कार्यक्रम अधिकारी को भी भेज दी जाएंगी ताकि यह ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत को उनके बारे में सटीक जानकारियां दे सके और इस आधार पर एक मुकम्मल योजना तैयार की जा सके।
11. पंजीकृत मजदूरों की ग्राम सभा बुलाई जानी चाहिए।
12. अगर पाया जाता है कि पंजीकर.ा के लिए आवेदन देने वाले व्यक्ति ने अपने नाम, आवास या उम्र के बारे में गलत जानकारी दी है तो उसका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे इस योजना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

काम के लिये आवेदन

1. काम के आवेदन साधार.ातः ग्राम पंचायत के पास ही जमा कराया जाना चाहिए। इसके साथ–साथ अधिनियम (अनुसूची प्प् अनुच्छेद 9) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मजदूरों को कार्यक्रम अधिकारी के पास आवेदन जमा कराया जा सकता है।
2. आवेदन सादे कागज पर लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। इस आवेदन में निम्नलिखित जानकारियों का उल्लेख किया जाएगा।
   - रोजगार कार्ड की पंजीकर.ा संख्या
   - आवेदक किस तारीख से काम पर आना चाहता है, तथा
   - उसे कितने दिन रोजगार की जरूरत है।
3. रोजगार के लिए आवेदन सादे कागज पर अथवा मुद्रित प्रोफार्मा में जो ग्राम पंचायत में मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।
4. साल की अलग अलग अवधियों में बहुत सारे दिनों के लिए एक ही आवेदन काफी होगा। यदि आवेदक चाहें तो संयुक्त आवेदन भी दे सकते है। आवेदक कार्य करने की इच्छा जताने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय में स्वयं उपस्थित होंगे। ग्राम रोजगार सहायक इसे निहित आवेदन और रोजगार पंजी में उसका नाम दर्ज करेंगे।
5. आवेदक द्वारा काम के लिए जो आवेदन जमा कराया गया है उसके बदले में आवेदक को रसीद जारी की जाएगी जिस पर आवेदन जमा होने की तारीख लिखी होगी।
6. रोजगार के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रतिपर्.ा रसीद होनी चाहिए जिस पर तारीख अंकित की जा सके और रोजगार के लिए आवेदन पत्र पर तारीखयुक्त रसीद तत्काल जारी की जा सके। रोजगार के लिए सभी आवेदन रोजगार पंजी में अवश्य दर्ज किए जाने चाहिए।

स्वीकार्य परियोजनाएं

1. महात्मा गांधी नरेगा का उद्देश्य ग्रामी.ा इलाकों में मूलभूत रोजगार गांरटी सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम में गतिविधियों या परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया है जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाई जाएंगी। अधिनियम की अनुसूची 1 के मुताबिक ग्रामी.ा रोजगार गांरटी योजना (आरईजीएस) के तहत निम्न काम किए जाएगें।

- जल संरक्ष.ा एवं जल संचय
- सूखे से बचाव कि लिए वृक्षारोप.ा और वन संरक्ष.ा
- सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्मा.ा
- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों या भूमि सुधारों के लाभान्वितों या इंदिरा आवास योजना लाभान्वितों की जमीन तक सिचाई की सुविधाए पहुंचाना
- परंपरागत जल स्त्रोतों के पुनर्नवीनीकर.ा हेतु जलाशयों से गाद की निकासी
- भूमि विकास
- बाढ़ नियंत्र.ा एवं सुरक्षा परियोजनाएं, जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है।
- गांवों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाना ताकि सभी गांवो तक बारह महीने सहज आवाजाही हो सके। सड़क निर्मा.ा परियोजनाओं में जरूरत के हिसाब से पुलिया भी बनाई जा सकती हैं और गांव के भीतर सड़कों के साथ नालियां भी बनाई जा सकती है।
- राजीव गांधी सेवा केन्द्र
- राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले कोई अन्य कार्य

शिकायत निवार.ा प्र.ाली

भारत सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु **"छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गांरटी शिकायत निवारण नियम, 2012"** का छत्तीसगढ़ राजपत्र में 11 मई 2012 को प्रकाशन किया गया।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकर.ा करने हेतु राज्य/जिला/जनपद पंचायत स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ का गठन करते हुये सभी स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसके तहत प्राप्त आवेदनों में से टोल फ्री शिकायतों का 7 दिवस के भीतर एवं अन्य शिकयतों का 15 दिवस के भीतर निराकर.ा किया जाना है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रकर.ा पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होने पर 15 दिवस के भीतर उच्च अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा 15 दिवस के भीतर अपील का निराकर.ा किया जावेगा।

योजनांतर्गत शिकयतों के निराकर.ा एवं पारदर्शिता हेतु राज्य शासन द्वारा ऑनलाईन शिकायत निवार.ा प्र.ाली की स्थापना की गई है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है व शिकायतों पर की गई कार्यवाही अर्थात शिकायतों की स्थिति राज्य की वेब–साईट www-mgnrega-cg-gov-in पर देखी जा सकती है।

हेल्पलाईन नंबर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारंटी योजनांतर्गत प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकर.ा हेतु राज्य एवं समस्त जिला पंचायत में टोल फ्री नम्बर की स्थापना की गई है, इन टोल फ्री (शुल्क मुक्त) नम्बरों पर कार्यालयीन दिवसों पर कार्यालयीन समय पर योजना से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। वहीं योजना क्रियान्वयन संबंधी जानकारियां भी प्राप्त की जा सकती है।

हेल्पलाईन नंबर पर प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही अर्थात शिकायतों की वास्तविक स्थिति लंबित/निराकर.ा की जानकारी राज्य के वेबसाईट www-cg nic-in/ epanchayat/nregacall पर देखी जा सकती है।

महात्मा गांधी नरेगा राज्य प्रकोष्ठ एवं जिला पंचायतों में स्थापित हेल्पलाईन नंबर इस प्रकार है –

क्र.	कार्यालय पता	हेल्पलाईन नंबर
1.	महात्मा गांधी नरेगा राज्य प्रकोष्ठ, रायपुर	**1800-2332425**
2.	जिला पंचायत–बिलासपुर	**18002332521**
3.	जिला पंचायत–जांजगीर–चांपा	**1800-2332522**
4.	जिला पंचायत–कबीरधाम	**1800-2333302**
5.	जिला पंचायत–दुर्ग	**1800-2336507**
6.	कलेक्ट्रेट–महासमुंद	**1800-2336601**
7.	जिला पंचायत–रायपुर	**1077**
8.	जिला पंचायत–कोरबा	**1800-2332524**
9.	जिला पंचायत–राजनांदगांव	**1800-2336509**
10.	जिला पंचायत–कांकेर	**1800-2331545**
11.	जिला पंचायत–नाराय.ापुर	**1800-2332208**
12.	जिला पंचायत–सरगुजा	**1800-2332531**
13.	जिला पंचायत–कोरिया	**1800-2332523**
14.	जिला पंचायत–जशपुर	**1800-2332527**
15.	जिला पंचायत–रायगढ़	**1800-2332529**
16.	जिला पंचायत–धमतरी	**1800-2333657**
17.	जिला पंचायत–बस्तर	**1800-2332328**
18.	जिला पंचायत–दंतेवाड़ा	**1800-2331809**
19.	जिला पंचायत–बीजापुर	**1800-2331121**

श्रम बजट

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक अगले वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा श्रम बजट प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह में तैयार करेगा जिसमें जिलों में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए अनुमानित मांग के ब्यौरे तथा योजना के अंतगत कवर किए गए कार्यों में मजदूरों को शामिल करने की योजना शामिल होगी। ग्रामी.ा विकास मंत्रालय श्रम बजट में लगाए गए अनुमानों के आधार पर निधियों की आवश्यकता का आकलन लगाएगा। इन श्रम बजटों की जांच करने के बाद तथा पहले रिलीज की गई निधियों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय निधियां जारी की जाएंगी। श्रम मांग के आकलन इस मांग की पूर्ति के लिए कार्यों का निर्धार.ा तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में कार्यों तथा मजदूरी की अनुमानित लागत के आधार पर जिला श्रम बजट तैयार तथा अनुमोदित करेगा। श्रम बजट विकास योजना में परियोंजनाओं की वार्षिक सूची के अनुसार शुरू किए जाने वाले कार्यों की संख्या तथा रूप के वास्तविक अनुमान पर आधारित होगा।

- कार्य के निर्धार.ा के लिए प्रत्येक वर्ष की 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाए।
- ग्राम पंचायत प्रत्येक वर्ष की 15 अक्टूबर तक कार्यक्रम अधिकारी को अपनी वरीयताओं के साथ विकास योजना भेजेगे।
- कार्यक्रम अधिकारी सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सभी सिफारिशो की अनुमोदित करेगी तथा ग्राम परियोजनाओं की सूची में शामिल करेंगी।
- ब्लॉक पंचायत ब्लॉक योजना को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भेजने के 15 दिन के भीतर अनुमोदित करेगी तथा कार्यक्रम अधिकारी 30 नवम्बर तक जिला कार्यक्रम समन्वयक डी.पी. सी को ब्लॉक योजना भेजेगा।
- डी.पी.सी 15 दिसम्बर तक जिला पंचायत को परियोजनाओं की ब्लॉक वार सूची तथा इसी के आधार पर श्रम बजट भेजेगा।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक 31 दिसम्बर तक राज्य सरकार को श्रम बजट भेजेगा, जो 31 जनवरी तक अपनी सिफारिश के साथ इसे ग्रामी.ा विकास मंत्रालय को भेजेगी।

परिशिष्ट

महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 हेतु अनुमोदित लेबर बजट

क्रं.	जिला	वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित लेबर बजट (करोड़ में)	वर्ष 2012–13 हेतु अनुमोदित लेबर बजट (करोड़ में)
1	बस्तर	78-19	108-61
2	बिलासपुर	307-23	309-89
3	दंतेवाड़ा	39-75	65-48
4	धमतरी	109-74	114-94
5	जशपुर	110-73	129-10
6	कांकेर	95-54	109-27
7	कबीरधाम	106-45	129-19
8	कोरिया	75-19	76-26
9	रायगढ़	99-20	117-34
10	राजनांदगांव	240-37	217-30
11	सरगुजा	212-37	230-56
12	जांजगीर–चांपा	110-00	124-44
13	कोरबा	67-57	97-58
14	महासमुंद	173-39	179-36
15	रायपुर	313-60	369-84
16	दुर्ग	255-97	289-03
17	बीजापुर	24-80	27-25
18	नाराय.ापुर	9-33	7-83
	योग	**2429-42**	**2703-27**

वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुमोदित लेबर बजट विरूद्ध प्रगति

(मासिक प्रगति प्रतिवेदन आधारित)

क्रं.	जिला	मानव दिवस (लाख में)		कुल व्यय (लाख में)	
		प्रस्तावित लेबर बजट	अर्जित	प्रस्तावित लेबर बजट	अर्जित
1	बस्तर	43.4	48.1	7819.0	8512.7
2	बिलासपुर	176.5	140.9	30723.5	23825.2
3	दंतेवाड़ा	26.1	22.4	3975.7	4345.7
4	धमतरी	54.7	51.6	10974.7	9239.1
5	जशपुर	55.0	63.9	11073.6	11250.6
6	कांकेर	56.7	63.6	9554.5	10181.9
7	कबीरधाम	69.2	56.5	10645.4	9960.4
8	कोरिया	39.5	37.0	7519.3	6422.0
9	रायगढ़	53.6	37.6	9920.8	7282.7
10	राजनांदगांव	138.6	121.5	24037.4	21121.0
11	सरगुजा	127.1	121.4	21237.0	20836.2
12	जांजगीर–चांपा	69.1	46.5	11000.4	7731.8
13	कोरबा	36.0	36.1	6757.4	5785.7
14	महासमुंद	80.5	73.4	17339.7	11070.4
15	रायपुर	163.5	142.4	31360.9	24211.2
16	बीजापुर	12.8	14.3	2480.2	2755.5
17	दुर्ग	131.6	120.0	25597.1	19491.4
18	नाराय.पुर	6.0	3.0	933.0	586.8
योग		1339.9	1200.2	242949.6	204610.4

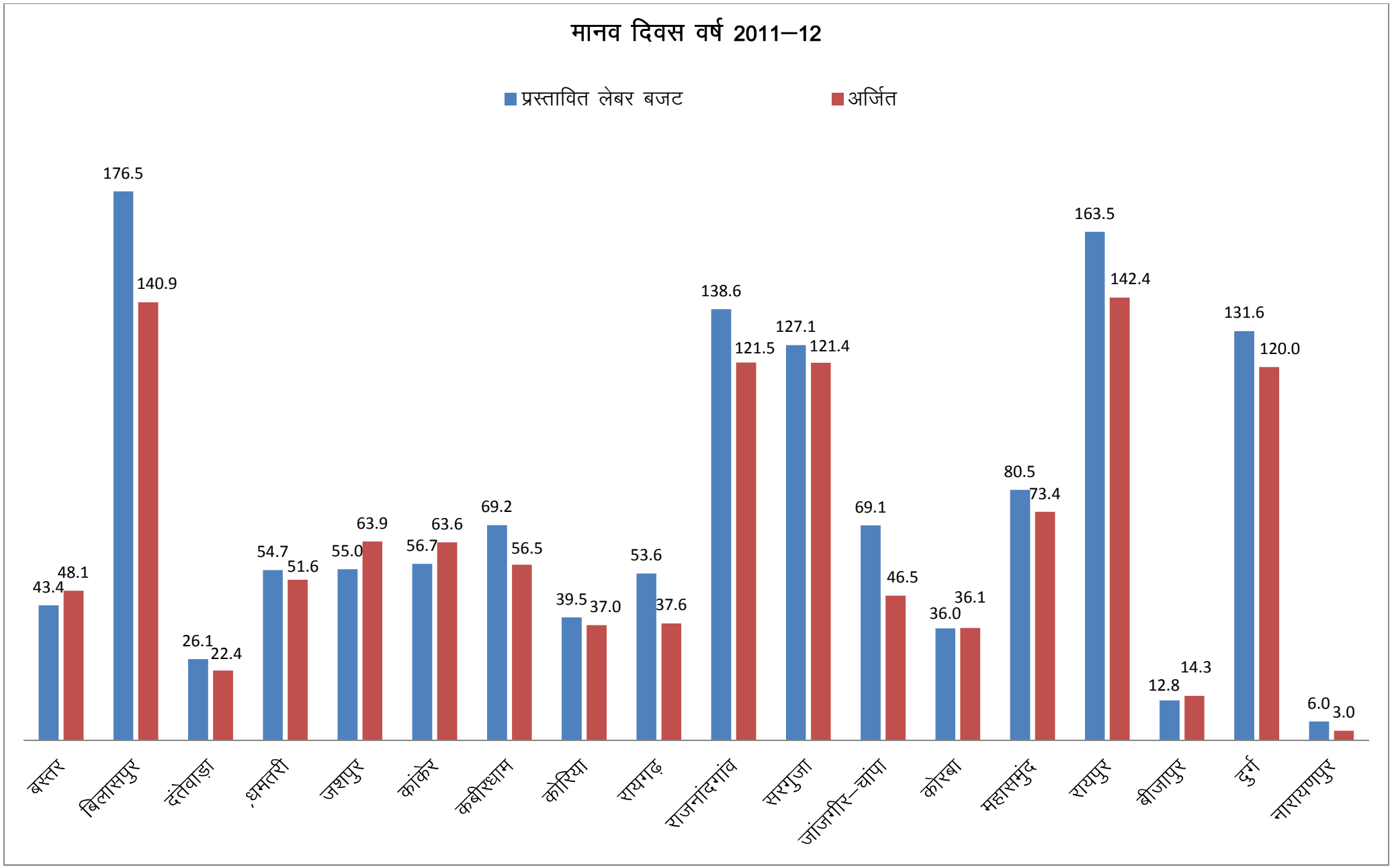
मानव दिवस वर्ष 2011–12
प्रस्तावित लेबर बजट
अर्जित
43.4
48.1
176.5
140.9
26.1
22.4
54.7
51.6
55.0
63.9
56.7
63.6
69.2
56.5
39.5
37.0
53.6
37.6
138.6
121.5
127.1
121.4
69.1
46.5
36.0
36.1
80.5
73.4
163.5
142.4
12.8
14.3
131.6
120.0
6.0
3.0
बस्तर
बिलासपुर
दंतेवाड़ा
धमतरी
जशपुर
कांकेर
कबीरधाम
कोरिया
रायगढ़
राजनांदगांव
सरगुजा
जांजगीर–चांपा
कोरबा
महासमुंद
रायपुर
बीजापुर
दुर्ग
नारायणपुर

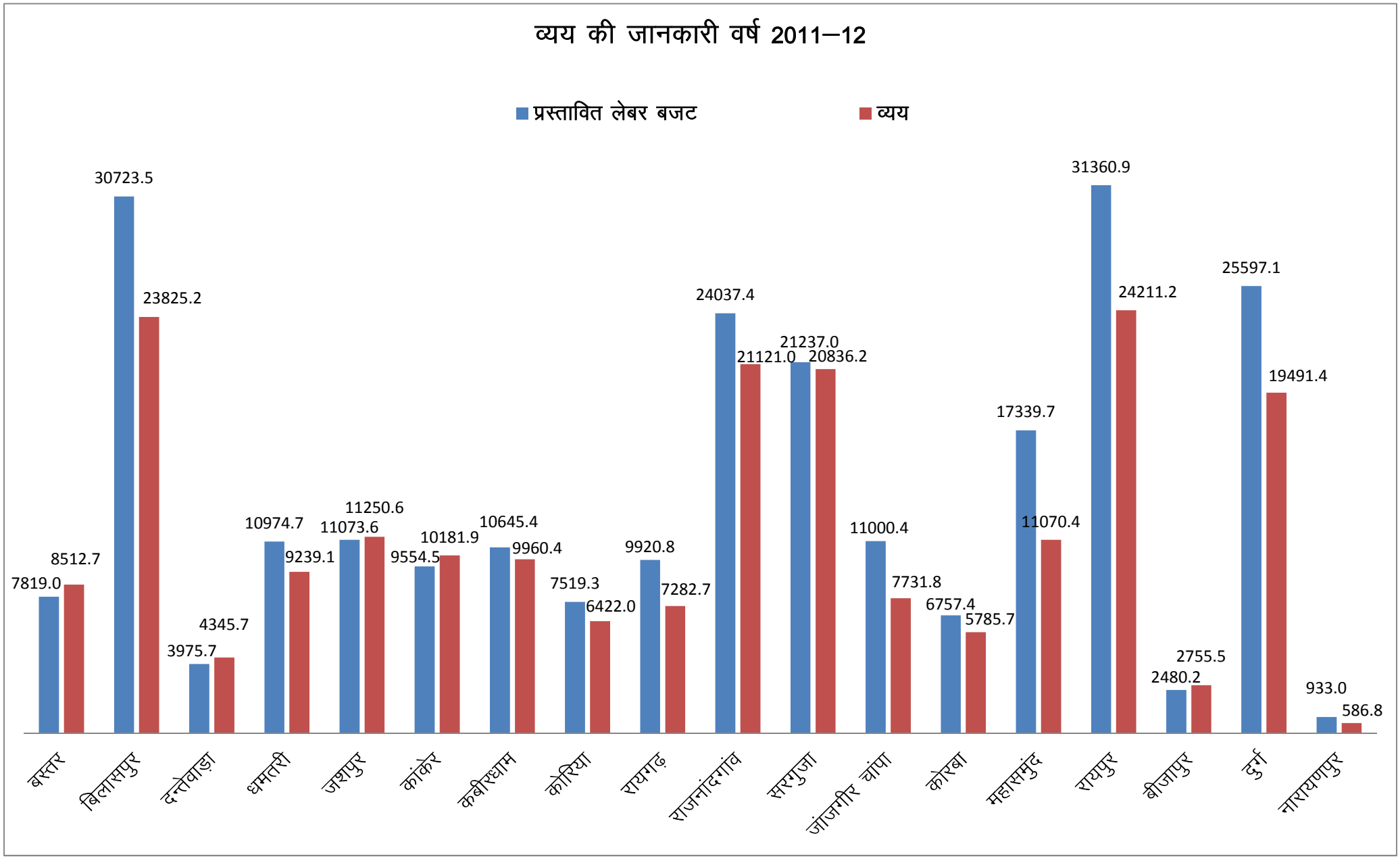
व्यय की जानकारी वर्ष 2011–12
प्रस्तावित लेबर बजट
व्यय
7819.0
8512.7
30723.5
23825.2
3975.7
4345.7
10974.7
9239.1
11073.6
11250.6
9554.5
10181.9
10645.4
9960.4
7519.3
6422.0
9920.8
7282.7
24037.4
21121.0
21237.0
20836.2
11000.4
7731.8
6757.4
5785.7
17339.7
11070.4
31360.9
24211.2
2480.2
2755.5
25597.1
19491.4
933.0
586.8
बस्तर
बिलासपुर
दन्तेवाड़ा
धमतरी
जशपुर
कांकेर
कबीरधाम
कोरिया
रायगढ़
राजनांदगांव
सरगुजा
जांजगीर चांपा
कोरबा
महासमुंद
रायपुर
बीजापुर
दुर्ग
नारायणपुर

प्रबंधन सूचना प्र.ाली (M-I-S-)

सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

संचालन प्रक्रिया में कार्यकुशलता और पारदर्शिता पैदा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हेतु भारत सरकार, ग्रामी.ा विकास मंत्रालय द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से एक इंटरनेट आधारित एमआईएस. विकसित किया गया है जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां सार्वजनिक परिक्षेत्रों में उपलब्ध हो ।

एम.आई.एस. में मुख्य कार्य :

क. परियोजना प्रस्ताव तैयार करना;

ख. मस्टर रोल, रोजगार कार्ड तथा अन्य महत्वपू.ा दस्तावेजों को डिजिटल रूप में दर्ज करना;

ग. वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था;

घ. संचार तथा सूचनाओं तक पहुंच;

ड. शिकायत निपटारा व्यवस्था;

ढ. निगरानी एवं मूल्यांकन;

एम.आई.एस. पर प्राथमिकता वाले कार्यों, संसाधनों की मात्रा, पंजीकृत परिवारों, वेतन भुगतान, रोजगार चाहने वाले पंजीकृत आवेदकों को उपलब्ध कराए गए श्रम दिवसों की संख्या, विभिन्न स्तरों पर प्राप्त और खर्च की गयी राशि तथा अन्य संबंधित मामलों का डेटाबेस भी मौजूद है ।

एम.आई.एस. पर प्रत्येक पक्ष हेतु एंट्री की व्यवस्था की गयी है । ऑफलाईन तथा ऑनलाईन एंट्री की व्यवस्था के साथ एम.आई.एस. एन्ट्री जनपद पंचायत स्तर से की जा रही है ।

एनआरईजीए को क्रियान्वित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम संभव प्रयोग किया जा रहा है और समग्र व्यवस्था में उचित मॉड्यूल्स विकसित किए गये हैं ।

वेबसाईट

भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी एनआरईजीए हेतु एक वेबसाईट www-nrega-nic-in बनायी गयी है। यह वेबसाईट इंटरनेट पर महात्मा गाँधी एनआरईजीए संबंधी दस्तावेजों को देखने के लिए एकीकृत स्त्रोत बिंदु है जिसमें संबंधित प्रमुख दस्तावेज (मस्टर रोल, खरीदी रसीद, माप पुस्तिका) इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है ।

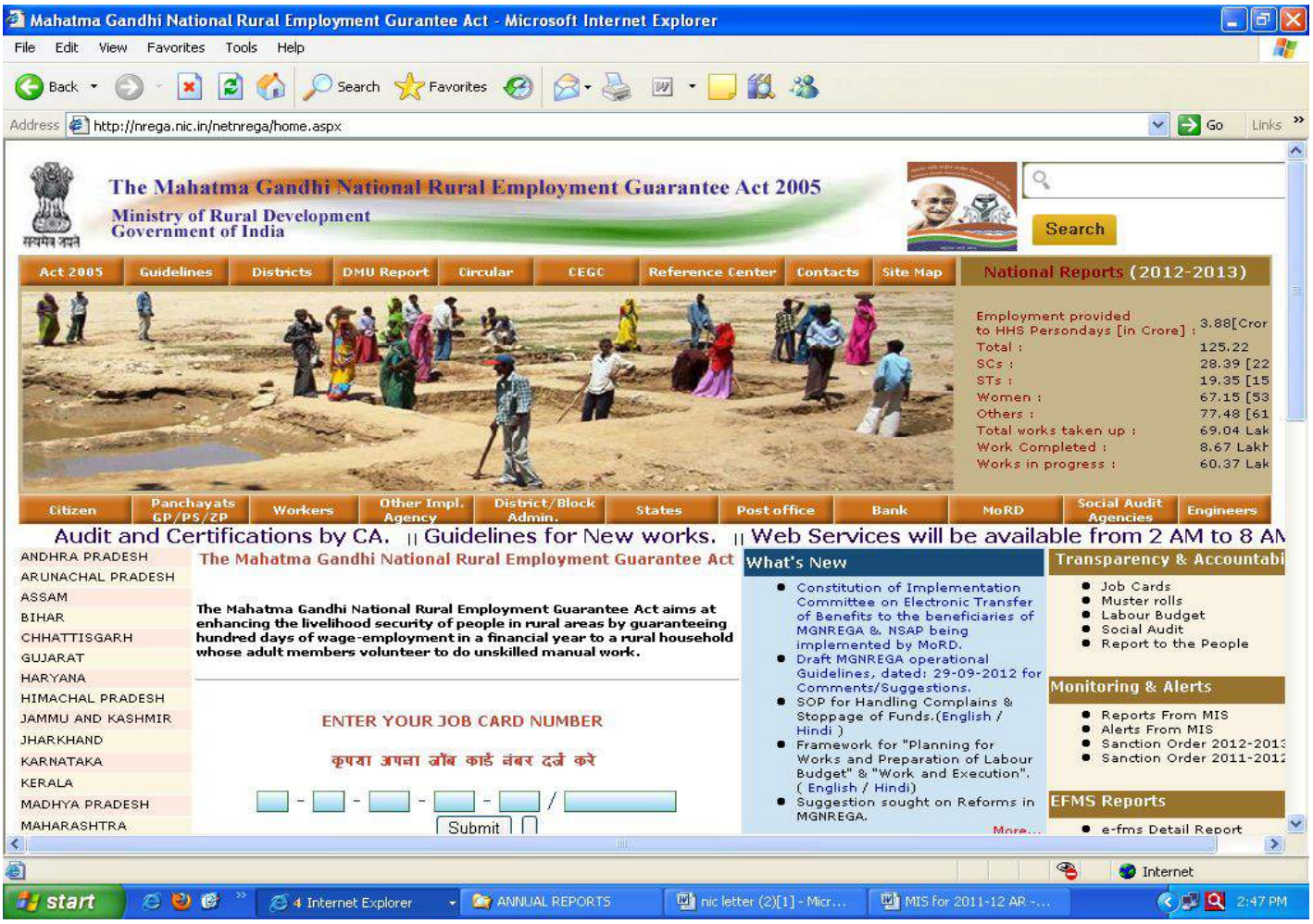

विभिन्न भाग

डेटाबेस को निम्नलिखित मॉड्यूल्स में संकलित किया जा रहा है :

- लाभान्वित मॉड्यूल
- वित्त मॉड्यूल
- नियोजन एवं कार्य मॉड्यूल
- मानव संसाधन मॉड्यूल
- भंडार एवं संपदा प्रबंधन मॉड्यूल
- शिकायत निपटारा मॉड्यूल

महात्मा गांधी नरेगा के कार्यो का
विषेष सामाजिक अंकेक्ष.ा

I- पृष्ठभूमि :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारंटी अधिनियम का एक रचनात्मक पहलू यह है कि, अधिनियम की धारा–17 अनुसार इसमें लगातार सार्वजनिक निगरानी के लिए ''सामाजिक अंकेक्ष.ा'' को एक केन्द्रीय भूमिका प्रदान की गई है। सामाजिक अंकेक्ष.ा निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके जरिए किसी गतिविधि या परियोजना के संभावित हितग्राहियों तथा अन्य सहभागियों को संबंधित गतिविधियों या परियोजना के नियोजन से लेकर क्रियान्वयन निगरानी और मूल्यांकन तक की प्रत्येक अवस्था में शामिल रखा जाता है। इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है, कि संबंधित गतिविधि या परियोजना की रूपरेखा और क्रियान्वयन की प्रक्रिया, वर्तमान परिस्थितियों में सबसे ज्यादा अनुकूल ढंग से, प्रभावित होने वाले पक्षों की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं का पर्याप्त रूप से समावेश करते हुए और जनहित को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है।

सामाजिक अंकेक्ष.ा को सार्वजनिक मामलें–पारदर्शिता, सहभागिता, परामर्श और सहमति, उत्तरदायित्व एवं जनसुनवाई जैसे मूलभूत मानकों को प्रोत्साहित करने वाले साधन के रूप में देखा जा सकता है।

महात्मा गांधी नरेगा ही एक ऐसी योजना है, जो ग्रामी.ाों को **''अपना पैसा अपना हिसाब''** का अधिकार प्रदान करती है। ***महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम–2011 के पालनार्थ राज्य के क्रमशः दो जनपद पंचायतों–अभनपुर (जिला–रायपुर) एवं जनपद पंचायत–मुंगेली (जिला–बिलासपुर/मुंगेली) में ''विषेष सामाजिक अंकेक्ष.ा'' का आयोजन किया गया।***

राज्य में विशेष सामाजिक अंकेक्ष.ा कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में (एम.आई.एस. ए. ट्री के आधार पर) नवम्बर, 2011 की स्थिति में सर्वाधिक खर्च करने वाले क्रमशः दो जिले–रायपुर एवं बिलासपुर के जनपद पंचायत–अभनपुर एवं मुंगेली का चयन किया गया।

अधिसूचना – प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामी.ा विकास विभाग का पत्र क्रमांक–3107/वि–7/ड़ळछत्ल्ळ।६ै।/2011 रायपुर दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 को विस्तृत अधिसूचना जारी कर उक्त जनपद पंचायत में दिनांक 27 जनवरी, 2012 से 4 फरवरी, 2012 तक विषेष सामाजिक अंकेक्ष.ा का आयोजन किया गया।

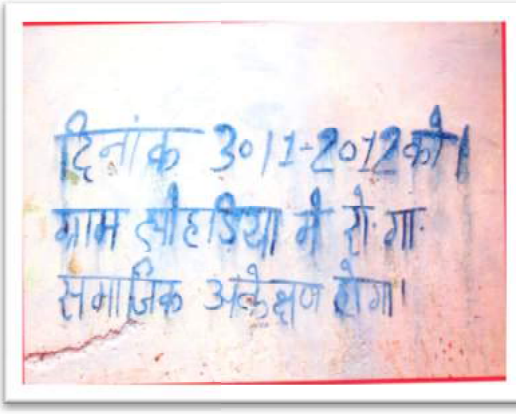

पूर्व तैयारी – विषेष सामाजिक अंकेक्षा हेतु चयनित जनपद पंचायत अंतर्गत निम्नांकित तैयारी की गई –

अ. ग्राम सभा की तिथि का निर्धारा
ब. रिकार्ड अद्यतन करना
स. दल गठन
द. प्रषिक्षा आदि

ग्राम सभा की तिथि का निर्धारा :– प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से सम्पादित होने वाले विषेष सामाजिक अंकेक्षा कार्यक्रम को आयोजित किये जाने हेतु ग्रामसभा की तिथि का निर्धारा जिला स्तर पर किया गया। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायतों की दीवारों में विषेष सामाजिक अंकेक्षा हेतु ग्राम सभा की तिथि का लेखन कराया गया ताकि ग्रामीा अधिक से अधिक संख्या में ग्राम सभा में उपस्थित हो सके।

रिकार्ड अद्यतन करना – महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों का विषेष सामाजिक अंकेक्षा कराये जाने हेतु चयनित जनपद पंचायत के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्यो से संबंधित समस्त दस्तावेजों जैसे– मस्टररोल, माप पुस्तिका, बिल व्हाउचर आदि दस्तावेजों को अद्यतन कराया गया। जिसमें अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कराये गये कार्य भी शामिल किये गये। समस्त ग्राम पंचायतों की पृथक–पृथक फाईल बनाकर सामाजिक अंकेक्षा दल को उपलब्ध कराई गई।

दल गठन – जनपद पंचायत–अभनपुर एवं मुंगेली में जनपद पंचायत एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। विषेष सामाजिक अंकेक्षा हेतु जनपद स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामसभा का आयोजन कर दल चयन किया गया। ग्राम सभा के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों का चयन किया गया जो योजनांतर्गत अकुषल कार्य किये है। साथ ही दस्तावेज निरीक्षा एवं प्रतिवेदन तैयार करने हेतु पंचायत स्तर के ऐसे व्यक्तियों का चयन किया गया जो सामाजिक कार्य करने में रूचि रखते हैं। इन चुने गये सदस्यों को निरीक्षा, पर्यवेक्षा एवं प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य सौंपा गया।

प्रशिक्षा कार्यक्रम – विषेष सामाजिक अंकेक्षा आयोजन हेतु ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीा विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर द्वारा प्रषिक्षित मास्टर ट्रेनरों के सहयोग से ***विषेष सामाजिक अंकेक्षा*** हेतु जनपद पंचायत–अभनपुर एवं मुंगेली में जनवरी, 2012 में दो दिवसीय प्रषिक्षा का आयोजन किया गया। उक्त प्रषिक्षा में सामाजिक अंकेक्षा की महत्ता पर विषेष जोर दिया गया।

प्रचार–प्रसार –प्रचार–प्रसार किसी भी योजना की जानकारी प्रदाय करने का वह सषक्त माध्यम है जो आम जन तक किसी योजना की जानकारी प्रदान करती है, व योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु जिज्ञासा उत्पन्न करती है।

अतः महात्मा गांधी नरेगा के कार्यो का विषेष सामाजिक अंकेक्षा आयोजन किए जाने हेतु जनपद पंचायत–अभनपुर एवं मुंगेली में प्रचार–प्रसार पर भी विषेष रूप से ध्यान दिया गया। इस हेतु जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर योजना संबंधी कार्यों का विषेष प्रचार–प्रसार किया गया। ताकि विषेष सामाजिक अंकेक्षा में अधिक से अधिक ग्रामी.ाों की भागीदारी सुनिष्चित की जा सके।

राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यो का ***विषेष सामाजिक अंकेक्षा*** कराये जाने हेतु ***सामाजिक अंकेक्षा रथ, कला जत्था, कठपुतली नृत्य, पाम्पलेट वितरा, दीवार लेखन एवं कोटवारों द्वारा मुनादी*** के माध्यम से प्रसार–प्रसार किया गया।

विशेष सामाजिक अंकेक्षा हेतु ग्राम सभा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारंटी स्कीम अंतर्गत क्रियान्वित कार्यो का ग्राम सभा के माध्यम से ''विषेष सामाजिक अंकेक्षा'' कराये जाने हेतु जनपद पंचायत–अभनपुर एवं मुंगेली में दिनांक 27 जनवरी, 2012 से 04 फरवरी, 2012 तक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा का कार्यवाही विवरा ग्राम सभा द्वारा नियुक्त किये गये सचिव द्वारा दर्ज किया गया।

जनसुनवाई – महात्मा गांधी नरेगा के कार्यो का विषेष सामाजिक अंकेक्षा हेतु चयनित जनपद पंचायतों के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा में प्राप्त षिकायतों का ग्राम पंचायत स्तर पर ही निराकरा किया गया। कुछ षिकायतें जिनका निराकरा ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं हो पाया, उन षिकायतों के निराकरा हेतु जनपद पंचायत स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन कर षिकायतों का निराकरा किया गया।

वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी– विषेष सामाजिक अंकेक्षा कराये जाने हेतु जनपद पंचायत–अभनपुर एवं मुंगेली के सभी ग्राम पंचायतों में वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई ताकि सामाजिक अंकेक्षा में पूर्ा रूप से पारदर्षिता लाई जा सके।

भारत सरकार द्वारा पर्यवेक्षा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम–2011 के पालनार्थ देष के प्रत्येक प्रदेष में ''विषेष सामाजिक अंकेक्ष.ा'' का आयोजन किया जाना था, जिसमें प्रदेष का स्थान देष में पांचवें स्थान पर रहा।

''विशेष सामाजिक अंकेक्ष.ा'' का भारत सरकार के तीन सदस्यीय दल – श्री एस. पी. वषिष्ठ, निदेषक, भारत सरकार, महात्मा गांधी नरेगा, श्री एस. के. वर्मा, अवर सचिव, भारत सरकार, महात्मा गांधी नरेगा एवं सुश्री सौम्या कदामी, निदेषक, ै।ज आंध्रप्रदेष, हैदराबाद द्वारा दिनांक 09 से 11 मई, 2012 तक जनपद पंचायत–अभनपुर एवं मुंगेली के ग्राम पंचायतों का पर्यवेक्ष.ा कर विषेष सामाजिक अंकेक्ष.ा की प्रकियाओं का मूल्यांकन किया गया।

लोकपाल

महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत् योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवार.ा (निपटारे) के लिए एक प्र.ाली स्थापित करने के उद्देश्य से योजनांतर्गत लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है ।

1. **लोकपाल की नियुक्तिः–** निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार करेगी,

   (क) राज्य सरकार के मुख्य सचिव –– अध्यक्ष,

   (ख) केन्द्रीय ग्रामी.ा विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि –– सदस्य,

   (ग) केन्द्रीय ग्रामी.ा विकास मंत्रालय के मनोनित सिविल सोसायटी के प्रसिद्ध व्यक्ति –– सदस्य,

   (घ) सचिव, राज्य नोडल विभाग –– सदस्य संयोजक।

2. **लोकपाल हेतु योग्यताः–** जो प्रख्यात एवं ईमानदार (अपराधी प्रकर.ा रहित) हों और जिन्हें लोक प्रशासन, विधि, शिक्षा, सामाजिक कार्य या प्रबंधन क्षेत्र में कम–से–कम बीस वर्षों का अनुभव हो ।

   कोई व्यक्ति, जो एक राजनीतिक दल का एक सदस्य है, उसे लोकपाल के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3. **लोकपाल का कार्यकालः–** 02–वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो 1–वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी अथवा 65–वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक, पहले जो भी हो।

4. **लोकपाल को हटानाः–** असंतोषजनक प्रदर्शन पर, चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है।

5. **लोकपाल की स्वायत्तताः–** केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र होगा।

6. **लोकपाल को देय पारिश्रमिकः–** रू. 500/– प्रति सिटिंग ।

7. **लोकपाल के समक्ष की जाने वाली शिकायतों की विषय–वस्तुः–** ग्राम सभा, परिवारों का पंजीकर.ा और जॉब कार्ड जारी करना, जॉब कार्ड की अभिरक्षा (कस्टुडी), काम की मांग, काम की मांग का आवेदन प्रस्तुत करने के सापेक्ष दिनांकित पावती रसीद जारी करना, मजदूरी का भुगतान, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान, लिंग के आधार पर भेदभाव, कार्यस्थल पर सुविधाएँ, काम का मापन, कार्य की गु.ावत्ता, मशीनों का उपयोग, ठेकेदारों को लगाना, बैंक या डाकघरों में खातों का संचालन, शिकायतों का पंजीकर.ा एवं निपटारा, मस्टर रोल का सत्यापन, दस्तावेजों का सत्यापन, निधियों का उपयोग, निधियों की मुक्ति (रिलीज), सामाजिक अंकेक्ष.ा, रिकॉर्ड का रखरखाव/संधार.ा।

8. **नि.ाय एवं अपीलः–** लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी और वही अंतिम व पक्षों (पार्टियों) के लिये बाध्यकारी होगा।

यदि अनावेदक लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड से व्यथित हैं, तो भारत सरकार, ग्रामी.ा विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रं. J-11011/21/2008-MGNREGA (Pt-), दिनांक–24.06.2010 के अनुसार सक्षम न्यायालय की शर.ा ले सकता है।{The aggrieved person can approach a Court of Law and seek relevant relief-}

9. **कार्यालयीन सुविधाएँ :–** पृथक कक्ष, टेबल–कुर्सी, ऑलमारी, कम्प्यूटर विथ कम्प्यूटर टेबल, प्रिंटर विथ स्कैनर, टेलीफोन, इंटरनेट सुविधा, डाक व्यवस्था, कक्ष के बाहर नाम पट्टिका एवं आवश्यक स्टेशनरी।
10. **लोकपाल हेतु समर्पित मानव संसाधन एवं क्षेत्र निरीक्ष.ा हेतु वाहन सुविधा।**
11. **महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जिलों में नियुक्त लोकपाल :– 31 मार्च 2012 की स्थिति में**

क्रं.	जिला	लोकपाल का नाम	फोन नंबर
1.	कोरबा	श्री ओमप्रकाश सिंह	94061-13887
2.	कोरिया	श्री अशोक शर्मा	99771-36655
3.	सरगुजा	श्री नागेन्द्र तिवारी	81098-90019
4.	धमतरी	श्री अनुजराम ध्रुव	98261-40141
5.	जशपुर	डॉ. दयाराम दयाल	94255-40805
6.	जांजगीर–चाँपा	श्रीमती निशिकांता राठौर	98279-62966
7.	कांकेर	श्री कृष्ा प्रसाद सिन्हा	81202-89165
8.	दुर्ग	श्री पुरन नाथ टेम्भुरकर	94255-64573
9.	रायगढ़	श्री हृषिकेश पटेल	99079-11714
10.	बस्तर	श्री श्रीनिवास दास	94242-85575
11.	नाराय.ापुर		
12.	कबीरधाम	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव	94060-62487
13.	महासमुंद	श्री ए. के. पा.डेय	81039-94464
14.	बिलासपुर	श्री बंसत लाल दुबे	94255-43871
15.	राजनांदगांव	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन
16.	रायपुर	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन
17.	दंतेवाड़ा	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन
18.	बीजापुर	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर

लोकपाल द्वारा शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया

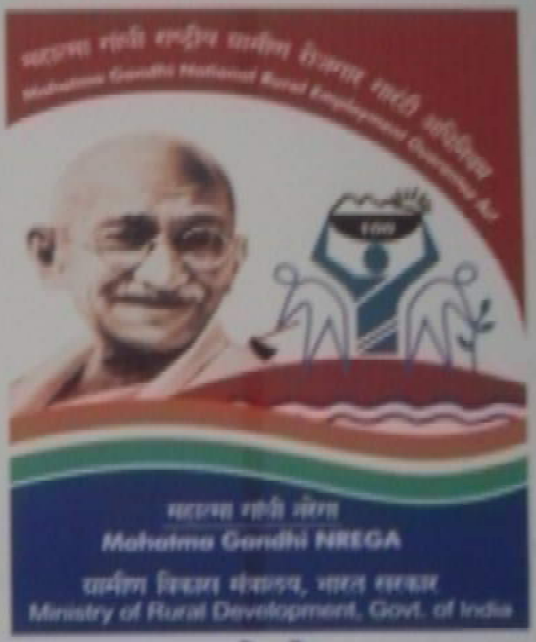

1. ग्राम सभा
2. निधियों की मुक्ति
3. जाब कार्ड की अभिरक्षा
4. काम की मांग
5. मशीनों का उपयोग
6. मजदूरी का भुगतान
7. काम का मापन
8. कार्यस्थल पर सुविधाएं
9. सामाजिक अंकेक्षण
10. कार्य की गुणवत्ता
11. काम की मांग का आवेदन प्रस्तुत करने के सापेक्ष दिनांकित पावती रसीद जारी करना
12. ठेकेदारों को लगाना
13. बैंक या डाकघरों में खातों का संचालन
14. शिकायतों का पंजीकरण एवं निपटारा
15. मस्टर रोल का सत्यापन
16. दस्तावेजों का सत्यापन
17. निधियों का उपयोग
18. परिवारों का पंजीकरण और जाब कार्ड जारी करना
19. लिंग के आधार पर भेदभाव
20. रिकार्ड का रखरखाव / संधारण

जिला कार्यालय का टोल फ्री नं.

18002331545

लोकपाल कक्ष क्र.–21 / लोकपाल का नाम –श्री कृष्णा प्रसाद सिन्हा / फोन नं.07868-241

मजदूरी भुगतान

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का उद्देष्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके व्यस्क सदस्य अकुषल शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक हैं। योजना के क्रियान्वयन से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, आज प्रदेष के 9734 ग्राम पंचायतों में 2657441 परिवार अकुषल शारीरिक श्रम कर बैंक एवं डाकघरों में संधारित कुल–6950746 खातों के माध्यम से मजदूरी भुगतान प्राप्त कर रहें है।

योजना के मंषानुरूप समय–सीमा में मजदूरी भुगतान कराये जाने हेतु जिन ग्राम पंचायतों में पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर बैंक एवं डाकघर स्थापित है उन ग्राम पंचायतों में बी.सी.एम. के माध्यम से मजदूरी भुगतान की व्यवस्था हेतु विभिन्न बैंकों से अनुबंध किये जा रहा है।

वहीं प्रदेष के 14 नक्सल प्रभावित जिलों में योजनांतर्गत जहां बैंक/डाकघर से ग्राम पंचायतों की अत्यधिक दूरी है, ऐसे क्षेत्रों में संस्थागत भुगतान में आ रही समस्याओं/कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा बैंक एवं डाकघर से मजदूरी भुगतान की बाध्यता को षिथिल करते हुए सषर्त नगद मजदूरी भुगतान की अनुमति प्रदान की गई है।

इस प्रकार राज्य शासन द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य में मजदूरी भुगतान हेतु बैंक एवं डाकघर की संख्या

क्र.	जिला का नाम	खोले गए खातों की संख्या		
		डाकघर	बैंक	कुल
1	सरगुजा	238424	458319	696743
2	जशपुर	195592	44601	240193
3	कोरिया	41161	126946	168107
4	बिलासपुर	466938	104454	571392
5	रायगढ़	283343	46492	329835
6	जांजगीर–चांपा	316739	34349	351088
7	कोरबा	224895	30647	255542
8	रायपुर	635087	346852	981939
9	दुर्ग	346744	348288	695032
10	राजनांदगांव	227052	256007	483059
11	कबीरधाम	127859	216637	344496
12	महासमुंद	331834	107493	439327
13	धमतरी	206214	175431	381645
14	कांकेर	146399	162716	309115
15	बस्तर	231882	257856	489738
16	दंतेवाड़ा	111628	32483	144111
17	नाराय.पुर	3862	22587	26449
18	बीजापुर	31252	11683	42935
महायोगा		**4166905**	**2783841**	**6950746**

राज्य में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण

वित्तीय विवरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत माह मार्च 2012 तक केन्द्रांश एवं राज्यांश रूपये 1817.24 करोड़ निर्गमित की गई। अन्य प्राप्तिया एवं प्रारंभिक शेष को जोड़ कर कुल उपलब्ध राशि 2492.95 करोड़ रू. उपलब्ध हुई जिसके विरूद्ध माह मार्च 2012 तक कुल व्यय 2046.10 करोड़ रू. व्यय किये गये। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि का 82 प्रतिशत राशि व्यय किया गया। जिलेवार विवरण सारणी व चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है।

❖ दिनांक 01.04.2011 को शेष राशि (करोड़ रू. में)	:	658.56
❖ केन्द्रांश (करोड़ रू. में)	:	1638.55
❖ राज्यांश (करोड़ रू. में)	:	178.69
❖ अन्य प्राप्तियॉ (करोड़ रू. में)	:	17.13
❖ कुल उपलब्ध राशि (करोड़ रू. में)	:	2492.95
❖ मजदूरी पर व्यय (करोड़ रू. में)	:	1462.86
❖ मजदूरी पर व्यय का प्रतिशत	:	72 :
❖ सामग्री में व्यय (कुशल मजदूरी + सामग्री) (करोड़ रू. में)	:	500.72
❖ सामग्री में व्यय का प्रतिशत	:	24 :
❖ प्रशासकीय व्यय (करोड़ रू. में)	:	82.51
❖ प्रशासकीय व्यय का प्रतिशत	:	4 :
❖ कुल व्यय (करोड़ रू. में)	:	2046.10
❖ उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	:	82 :

प्रशासनिक व्यय विवर.ा वर्ष 2011–12

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिला का नाम	प्रारंभिक शेष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि							कुल व्यय का प्रतिशत्
						मजदूरी पर व्यय	मजदूरी का प्रतिशत	सामग्री पर व्यय	सामग्री का प्रतिशत	प्रशासनिक व्यय	प्रशासनिक व्यय का प्रतिशत	कुल व्यय	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**BASTAR**	**4334-99**	**4344-66**	**453-78**	**9169-44**	**5865-03**	**69**	**2149-85**	**25**	**497-83**	**6**	**8512-70**	**93**
2	**BILASPUR**	**1429-73**	**25987-76**	**2783-80**	**30261-78**	**17184-83**	**72**	**5921-22**	**25**	**719-13**	**3**	**23825-18**	**79**
3	**DANTEWADA**	**4246-00**	**1700-00**	**177-55**	**6174-44**	**2738-26**	**63**	**1265-33**	**29**	**342-12**	**8**	**4345-71**	**70**
4	**DHAMTARI**	**3452-35**	**6600-00**	**689-33**	**10800-07**	**6297-65**	**68**	**2524-56**	**27**	**416-91**	**5**	**9239-12**	**86**
5	**JASHPUR**	**1009-96**	**9643-22**	**1031-53**	**11806-53**	**7996-74**	**71**	**2764-96**	**25**	**488-94**	**4**	**11250-63**	**95**
6	**KANKER**	**1949-90**	**8740-39**	**924-29**	**11688-68**	**7748-34**	**76**	**1910-10**	**19**	**523-47**	**5**	**10181-91**	**87**
7	**KAWARDHA**	**9526-24**	**1821-09**	**190-20**	**11787-61**	**6889-05**	**69**	**2633-49**	**26**	**437-91**	**4**	**9960-45**	**84**
8	**KOREA**	**2497-21**	**4309-98**	**592-80**	**7415-08**	**4513-04**	**70**	**1709-72**	**27**	**199-20**	**3**	**6421-96**	**87**
9	**RAIGARH**	**6183-68**	**4080-00**	**426-13**	**10917-32**	**4586-31**	**63**	**2306-98**	**32**	**389-45**	**5**	**7282-74**	**67**
10	**RAJNANDAGON**	**1768-32**	**21231-01**	**2279-79**	**25410-14**	**14817-06**	**70**	**5563-55**	**26**	**740-38**	**4**	**21120-99**	**83**
11	**SURGUJA**	**2933-28**	**17213-99**	**2169-95**	**22317-22**	**14812-12**	**71**	**5315-70**	**26**	**708-37**	**3**	**20836-19**	**93**
12	**JANJGIR-CHAMPA**	**1636-73**	**8116-04**	**857-49**	**10672-09**	**5675-00**	**73**	**1722-19**	**22**	**334-60**	**4**	**7731-79**	**72**
13	**KORBA**	**3016-15**	**2587-32**	**270-23**	**5937-62**	**4407-29**	**76**	**1068-39**	**18**	**310-04**	**5**	**5785-72**	**97**
14	**MAHASAMUND**	**5170-74**	**8455-77**	**883-58**	**14630-20**	**8455-92**	**76**	**2263-46**	**20**	**350-99**	**3**	**11070-37**	**76**
15	**RAIPUR**	**6138-63**	**20139-64**	**2127-03**	**28515-**	**17371-**	**72**	**5972-59**	**25**	**867-49**	**4**	**24211-**	**85**

					06	16						24	
16	**Bijapur**	**1404-89**	**1457-39**	**152-23**	**3081-38**	**1884-37**	**68**	**695-17**	**25**	**175-96**	**6**	**2755-50**	**89**
17	**DURG**	**8738-98**	**16634-21**	**1777-05**	**27410-72**	**14607-75**	**75**	**4174-74**	**21**	**708-94**	**4**	**19491-43**	**71**
18	**Narayanpur**	**419-04**	**793-41**	**82-90**	**1300-06**	**436-22**	**74**	**110-34**	**19**	**40-25**	**7**	**586-80**	**45**
Grand Total		**65856-82**	**163855-88**	**17869-23**	**249295-43**	**146286-14**	**72**	**50072-33**	**24**	**8251-97**	**4**	**204610-43**	**82**

भौतिक विवर.ा

राज्य में कुल 4120054 पंजीकृत परिवारों के विरूद्ध 2657607 परिवारों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कार्य की मांग की गई जिसके विरूद्ध 2657441 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, राज्य में सृजित कुल मानव दिवस 1200.17 लाख जिसमें अनुसूचित जाति 166.48 (14:), अनुसूचित जनजाति 449.26 (38:) एवं अन्य में 584.42 (49:) लाख मानव दिवस सृजित किये गये। राज्य में कुल सृजित 1200.17 लाख मानव दिवस मेसे महिलाओं का 48: है। राज्य में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या 193935 है। जिलेवार विवर.ा सार.ाी व चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 भौतिक प्रगति का विवर.ा

कुल पंजीकृत परिवारों की संख्या (लाख में)	:	41-20
पंजीकृत परिवारों को मांग के आधार पर रोजगार प्रदाय (लाख में)	:	26-57
कुल सृजित मानव दिवस (लाख में)	:	1200-17
अनुसूचित जाति (लाख में)	:	166-48
अनुसूचित जन जाति (लाख में)	:	449-26
अन्य (लाख में)	:	584-82
कुल सृजित मानव दिवस में से महिलाओं के माध्यम से सृजित मानव दिवस (लाख में)	:	580-92
100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये गये पंजीकृत परिवारों की संख्या	:	1,93,935

पंजीकृत परिवार व रोजगार की जानकारी वर्ष 2011–12

क्र.	जिला का नाम	पंजीकृत परिवार				पंजीकृत परिवार द्वारा रोजगार की मांग	मांग के आधार पर रोजगार प्रदाय
		अ.जा.	अ.ज.जा	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**BASTAR**	**7539**	**161188**	**55051**	**223778**	**143879**	**143879**
2	**BILASPUR**	**77494**	**89725**	**286754**	**453973**	**306714**	**306714**
3	**DANTEWADA**	**4984**	**78741**	**15948**	**99673**	**54550**	**54550**
4	**DHAMTARI**	**9039**	**41489**	**85240**	**135768**	**114136**	**114136**
5	**JASHPUR**	**11680**	**94987**	**40781**	**147448**	**117836**	**117836**
6	**KANKER**	**10516**	**74064**	**59661**	**144241**	**110387**	**110387**
7	**KAWARDHA**	**19707**	**33488**	**119500**	**172695**	**130876**	**130725**
8	**KOREA**	**6052**	**55477**	**39338**	**100867**	**74029**	**74029**
9	**RAIGARH**	**36167**	**99300**	**109111**	**244578**	**96045**	**96030**
10	**RAJNANDAGON**	**36476**	**85764**	**144352**	**266592**	**212133**	**212133**
11	**SURGUJA**	**27159**	**245732**	**181506**	**454397**	**275136**	**275136**
12	**JANJGIR-CHAMPA**	**65618**	**35703**	**153306**	**254627**	**127360**	**127360**
13	**KORBA**	**13726**	**88456**	**79306**	**181488**	**89027**	**89027**
14	**MAHASAMUND**	**27308**	**59426**	**140435**	**227169**	**162812**	**162812**
15	**RAIPUR**	**92613**	**89477**	**354940**	**537030**	**345164**	**345164**
16	**Bijapur**	**2625**	**40612**	**10529**	**53766**	**33924**	**33924**
17	**DURG**	**39748**	**56271**	**303873**	**399892**	**255461**	**255461**
18	**Narayanpur**	**804**	**17550**	**3718**	**22072**	**8138**	**8138**
Grand Total		**489255**	**1447450**	**2183349**	**4120054**	**2657607**	**2657441**

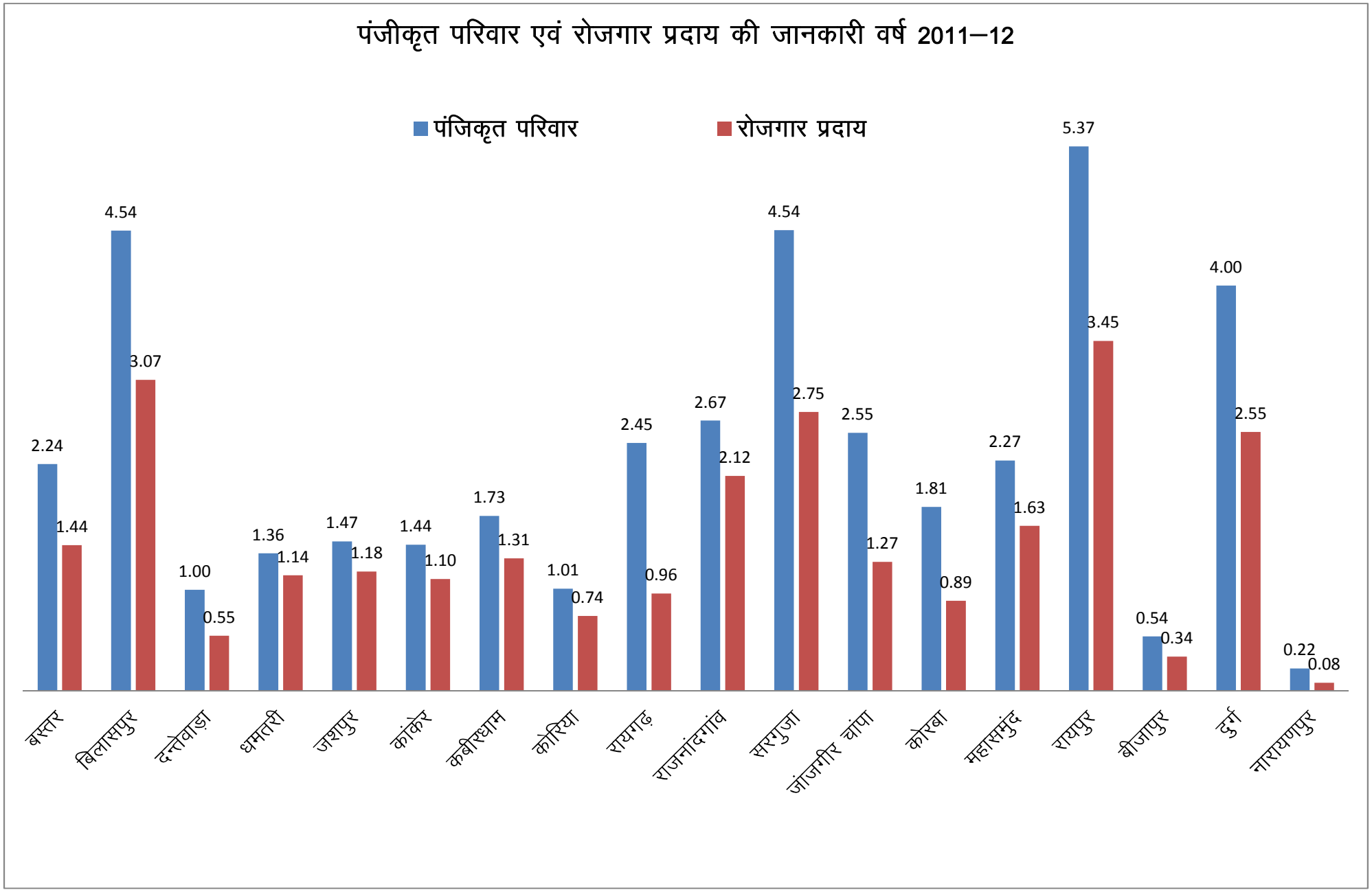
पंजीकृत परिवार एवं रोजगार प्रदाय की जानकारी वर्ष 2011–12
पंजिकृत परिवार
रोजगार प्रदाय
2.24
1.44
4.54
3.07
1.00
0.55
1.36
1.14
1.47
1.18
1.44
1.10
1.73
1.31
1.01
0.74
2.45
0.96
2.67
2.12
4.54
2.75
2.55
1.27
1.81
0.89
2.27
1.63
5.37
3.45
0.54
0.34
4.00
2.55
0.22
0.08
बस्तर
बिलासपुर
दन्तेवाड़ा
धमतरी
जशपुर
कांकेर
कबीरधाम
कोरिया
रायगढ़
राजनांदगांव
सरगुजा
जांजगीर चांपा
कोरबा
महासमुंद
रायपुर
बीजापुर
दुर्ग
नारायणपुर

सृजित मानव दिवस एवं 100 दिवस रोजगार प्राप्त करने वाले की जानकारी वर्ष 2011–12

क्र.	जिला का नाम	सृजित मानव दिवस					100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करने वाले परिवार
		अ.जा.	अ.ज.जा	अन्य	कुल	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**BASTAR**	**1-43**	**32-37**	**14-27**	**48-07**	**20-55**	**5627**
2	**BILASPUR**	**42-26**	**36-62**	**61-98**	**140-86**	**71-84**	**26297**
3	**DANTEWADA**	**1-12**	**17-73**	**3-59**	**22-44**	**10-10**	**4350**
4	**DHAMTARI**	**3-61**	**16-00**	**32-00**	**51-62**	**26-84**	**9020**
5	**JASHPUR**	**4-47**	**42-82**	**16-62**	**63-91**	**23-01**	**16308**
6	**KANKER**	**9-79**	**38-52**	**15-31**	**63-62**	**31-31**	**13809**
7	**KAWARDHA**	**4-63**	**9-98**	**41-86**	**56-47**	**27-26**	**8880**
8	**KOREA**	**1-85**	**22-56**	**12-58**	**36-99**	**12-95**	**7372**
	RAIGARH	**5-31**	**14-99**	**17-29**	**37-59**	**12-23**	**4440**
10	**RAJNANDAGON**	**18-10**	**34-33**	**69-02**	**121-46**	**69-07**	**29552**
11	**SURGUJA**	**5-97**	**69-34**	**46-10**	**121-41**	**40-89**	**19810**
12	**JANJGIR-CHAMPA**	**12-09**	**6-82**	**27-60**	**46-51**	**22-32**	**5387**
13	**KORBA**	**3-22**	**18-85**	**14-05**	**36-12**	**16-97**	**4959**
14	**MAHASAMUND**	**8-22**	**22-04**	**43-17**	**73-43**	**33-16**	**10492**
15	**RAIPUR**	**24-26**	**27-11**	**91-01**	**142-38**	**85-92**	**18160**
16	**Bijapur**	**0-90**	**10-70**	**2-67**	**14-26**	**6-59**	**4352**
17	**DURG**	**19-16**	**25-87**	**74-99**	**120-02**	**68-24**	**4644**
18	**Narayanpur**	**0-10**	**2-61**	**0-31**	**3-02**	**1-67**	**476**
Grand Total		**166-48**	**449-26**	**584-42**	**1200-17**	**580-92**	**193935**

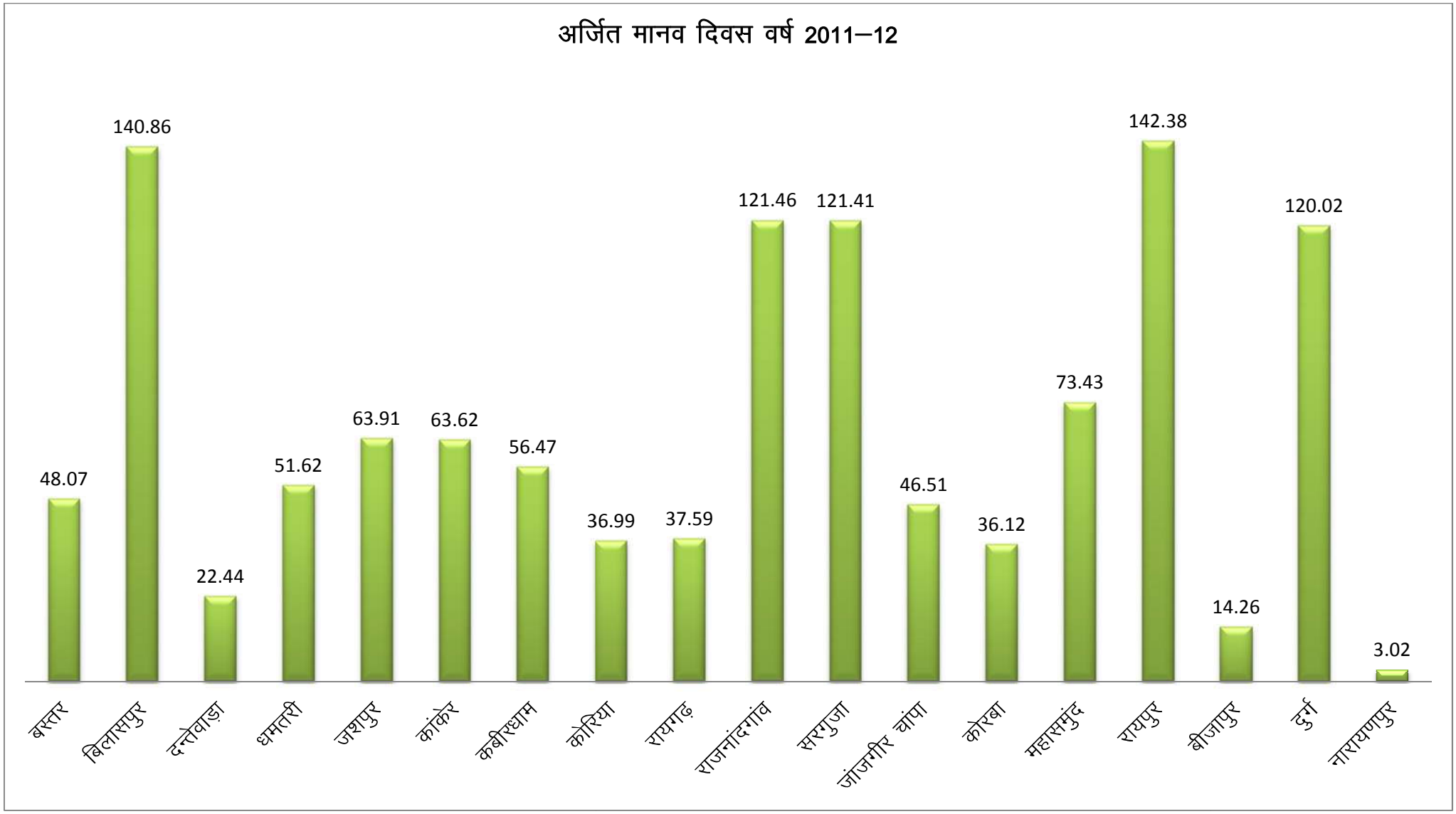
अर्जित मानव दिवस वर्ष 2011–12
48.07
140.86
22.44
51.62
63.91
63.62
56.47
36.99
37.59
121.46
121.41
46.51
36.12
73.43
142.38
14.26
120.02
3.02
बस्तर
बिलासपुर
दन्तेवाड़ा
धमतरी
जशपुर
कांकेर
कबीरधाम
कोरिया
रायगढ़
राजनांदगांव
सरगुजा
जांजगीर चांपा
कोरबा
महासमुंद
रायपुर
बीजापुर
दुर्ग
नारायणपुर

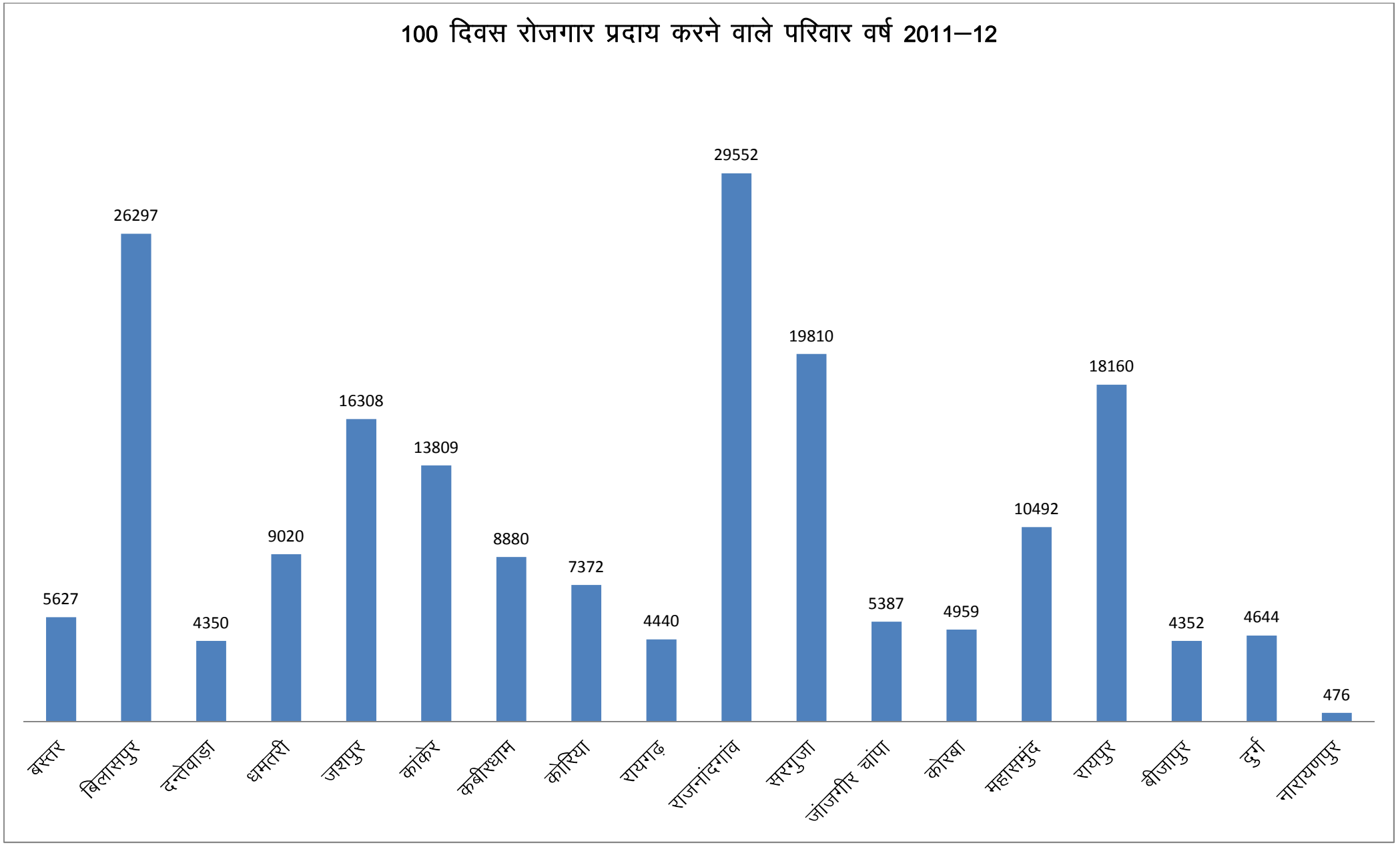
100 दिवस रोजगार प्रदाय करने वाले परिवार वर्ष 2011–12
5627
26297
4350
9020
16308
13809
8880
7372
4440
29552
19810
5387
4959
10492
18160
4352
4644
476
बस्तर
बिलासपुर
दन्तेवाड़ा
धमतरी
जशपुर
कांकेर
कबीरधाम
कोरिया
रायगढ़
राजनांदगांव
सरगुजा
जांजगीर चांपा
कोरबा
महासमुंद
रायपुर
बीजापुर
दुर्ग
नारायणपुर

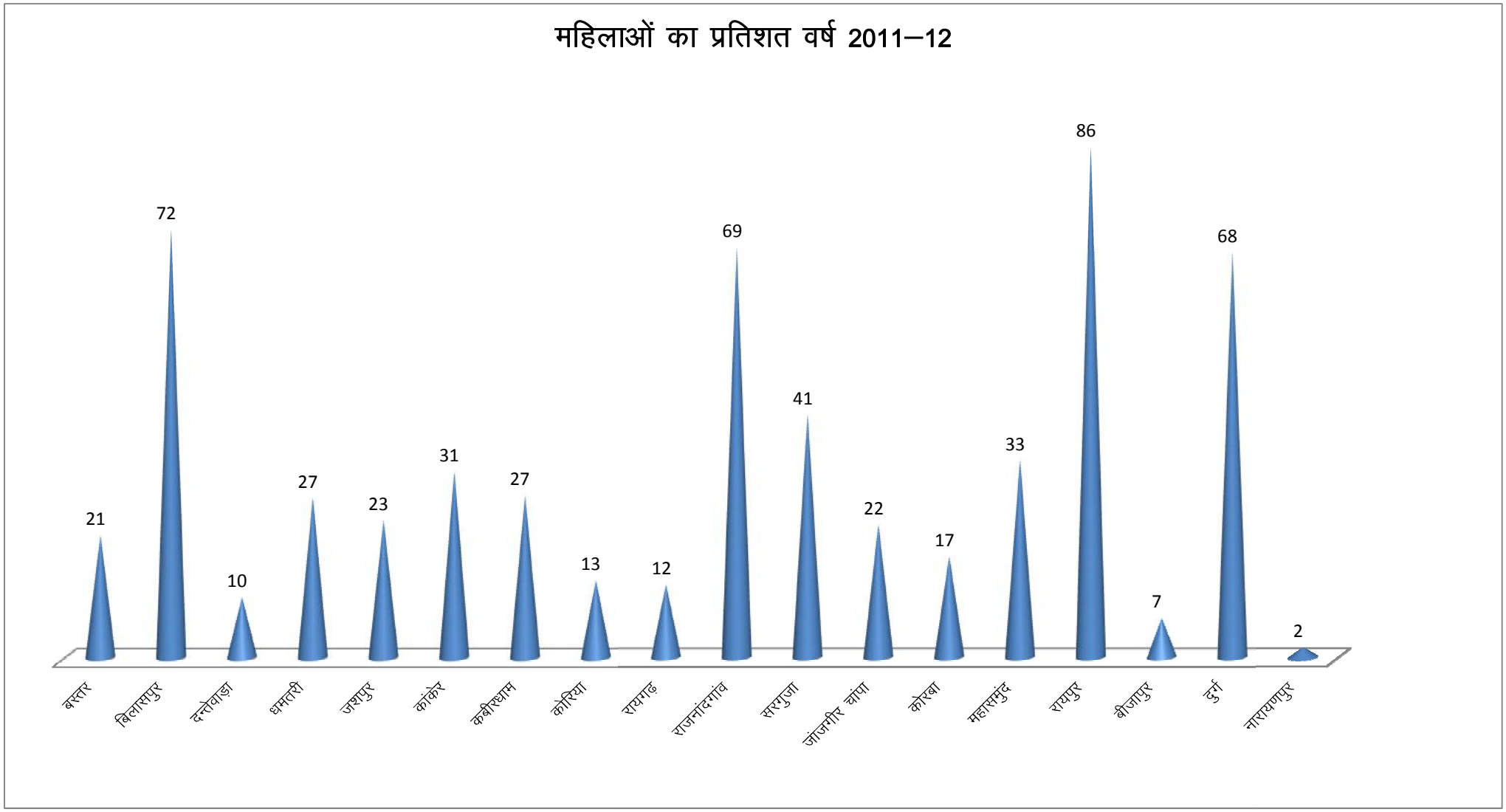

महिलाओं का प्रतिशत वर्ष 2011–12
21
72
10
27
23
31
27
13
12
69
41
22
17
33
86
7
68
2
बस्तर
बिलासपुर
दन्तेवाड़ा
धमतरी
जशपुर
कांकेर
कबीरधाम
कोरिया
रायगढ़
राजनांदगांव
सरगुजा
जांजगीर चांपा
कोरबा
महासमुंद
रायपुर
बीजापुर
दुर्ग
नारायणपुर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गारंटी योजनांतर्गत राज्य मे कुल स्वीकृत कार्य, पू.ा कार्य, प्रगतिरत कार्य एवं कार्यो का प्रतिशत की जानकारी

(मार्च 2011–12 की स्थिति में)

क्रं.	कार्य का नाम	पू.ा कार्यो की संख्या	प्रगतिरत कार्यो की संख्या	कुल स्वीकृत कार्यो की संख्या	कार्यो का प्रतिशत
1	जल सरंक्ष.ा एवं जल संवर्धन	**4198**	**5126**	**9324**	**5-3**
2	सूखा निवार.ा (वन रोप.ा और वृक्षारोप.ा)	**3026**	**2982**	**6008**	**3-4**
3	सिंचाई नहर, जिसमें मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्य शामिल है।	**1080**	**1786**	**2866**	**1-6**
4	अजा/अजजा, बीपीएल परिवारों, भूमि सुधार के हितग्राही, ई.आ.यों. के हितग्राहियों की स्वंय की भूमि के लिये सिंचाई, बागवानी एवं भूमि विकास	**33406**	**25222**	**58628**	**3-3**
5	पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकर.ा	**8714**	**6621**	**15335**	**8-8**
6	भूमि विकास	**25396**	**23889**	**49285**	**28-1**
7	बाढ़ नियंत्र.ा कार्य	**195**	**595**	**790**	**0-5**
8	बारहमासी सड़क सम्पर्क मार्ग	**16677**	**15318**	**31995**	**18-3**
9	अन्य कार्य (केन्द्र सरकार की अनुमति से)	**114**	**824**	**938**	**0-5**
योग		**92806**	**82363**	**175169**	**100**

कार्यवार प्रतिशत की जानकारी

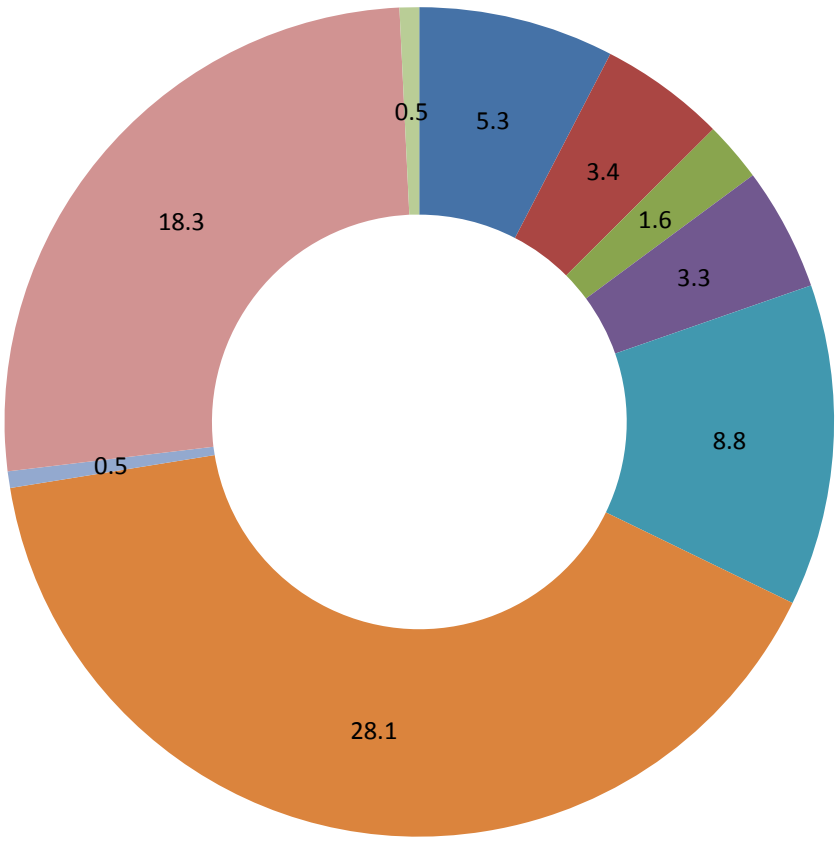

- जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन
- सूखा उन्मूलन / वृक्षारोपण
- सूक्ष्म सिंचाई
- अजा/अजजा, बीपीएल, भूमि सुधार के हिताधिकारी/इंदिरा आवास योजना के हितग्राही तथा लघु एवं सीमांत कृषकों की निजि भूमि पर भूमि विकास, बागवानी एवं सिंचाई सुविधा
- परंपरागत जल निकायों का पुनर्नवीनीकरण
- भूमि विकास
- बाढ़ नियंत्रण
- ग्रामीण सड़क सम्पर्क
- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गांरटी योजनांतर्गत राज्य मे कुल स्वीकृत कार्यो पर व्यय का प्रतिशत (मार्च 2011–12 की स्थिति में)

क्रं.	कार्य का नाम	पू.ा कार्यो का व्यय	प्रगतिशिल कार्यो का व्यय	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	जल सरंक्षा.ा एवं जल सग्रह.ा	**12095-91**	**12697-76**	**24793-67**	**12-6**
2	सूखा निवार.ा, वन रोप.ा और वृक्षारोप.ा	**3985-41**	**7248-49**	**11233-90**	**5-7**
3	सिंचाई नहर, जिमें मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्य शामिल है।	**3437-30**	**8163-86**	**11601-16**	**5-9**
4	अजा/अजजा, बीपीएल परिवारों, भूमि सुधार के हितग्राही, ई.आ.यों. के हितग्राहियों की स्वंय की भूमि के लिये सिंचाई, बागवानी एवं भूमि विकास	**10866-44**	**7871-27**	**18737-72**	**9-5**
5	पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकर.ा	**19649-94**	**16209-94**	**35859-89**	**18-3**
6	भूमि विकास	**10546-59**	**8341-26**	**18887-85**	**9-6**
7	बाढ़ नियंत्र.ा एवं ड्रेनेज सहित कार्यो का संरक्ष.ा	**1200-31**	**2717-03**	**3917-34**	**2-0**
8	बारहमासी सड़क सम्पर्क मार्ग	**32292-35**	**36690-48**	**68982-83**	**35-1**
9	अन्य कार्य (केन्द्र सरकार की अनुमति से)	**464-09**	**1919-26**	**2383-35**	**1-2**
योग		**94538-35**	**101859-35**	**196397-70**	**100**

कार्यवार व्यय का प्रतिशत

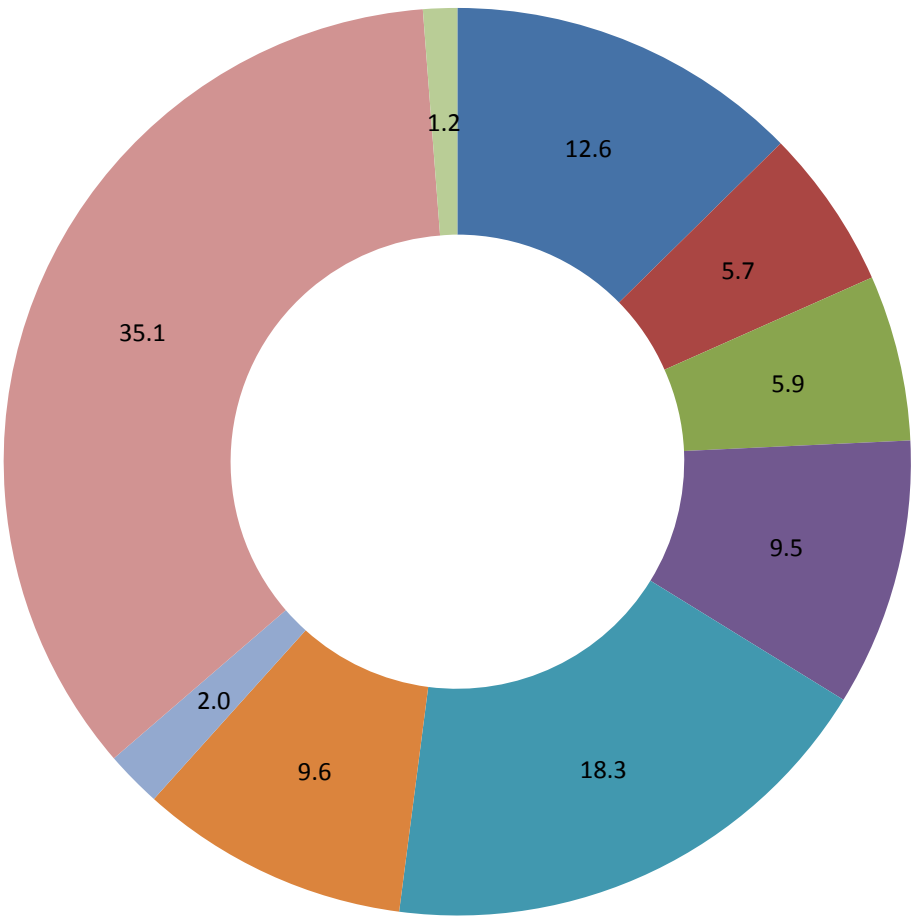

- जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन
- सूखा उन्मूलन / वृक्षारोपण
- सूक्ष्म सिंचाई
- अजा/अजजा, बीपीएल, भूमि सुधार के हिताधिकारी/इंदिरा आवास योजना के हितग्राही तथा लघु एवं सीमांत कृषकों की निजि भूमि पर भूमि विकास, वाटरशेड एवं सिंचाई सुविधा
- परंपरागत जल निकायों का पुर्ननवीनीकरण
- भूमि विकास
- बाढ़ नियंत्रण
- ग्रामीण सड़क सम्पर्क
- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

वित्तीय वर्ष 2011–12 में 9 प्रकार के स्वीकृत कार्यों का जिलेवार प्रतिशत का विवर.ा

1. जल निकाय एवं जल संवर्धन के स्वीकृत कार्य का जिलेवार प्रतिशत
   राज्य में कुल स्वीकृत कार्य 9324

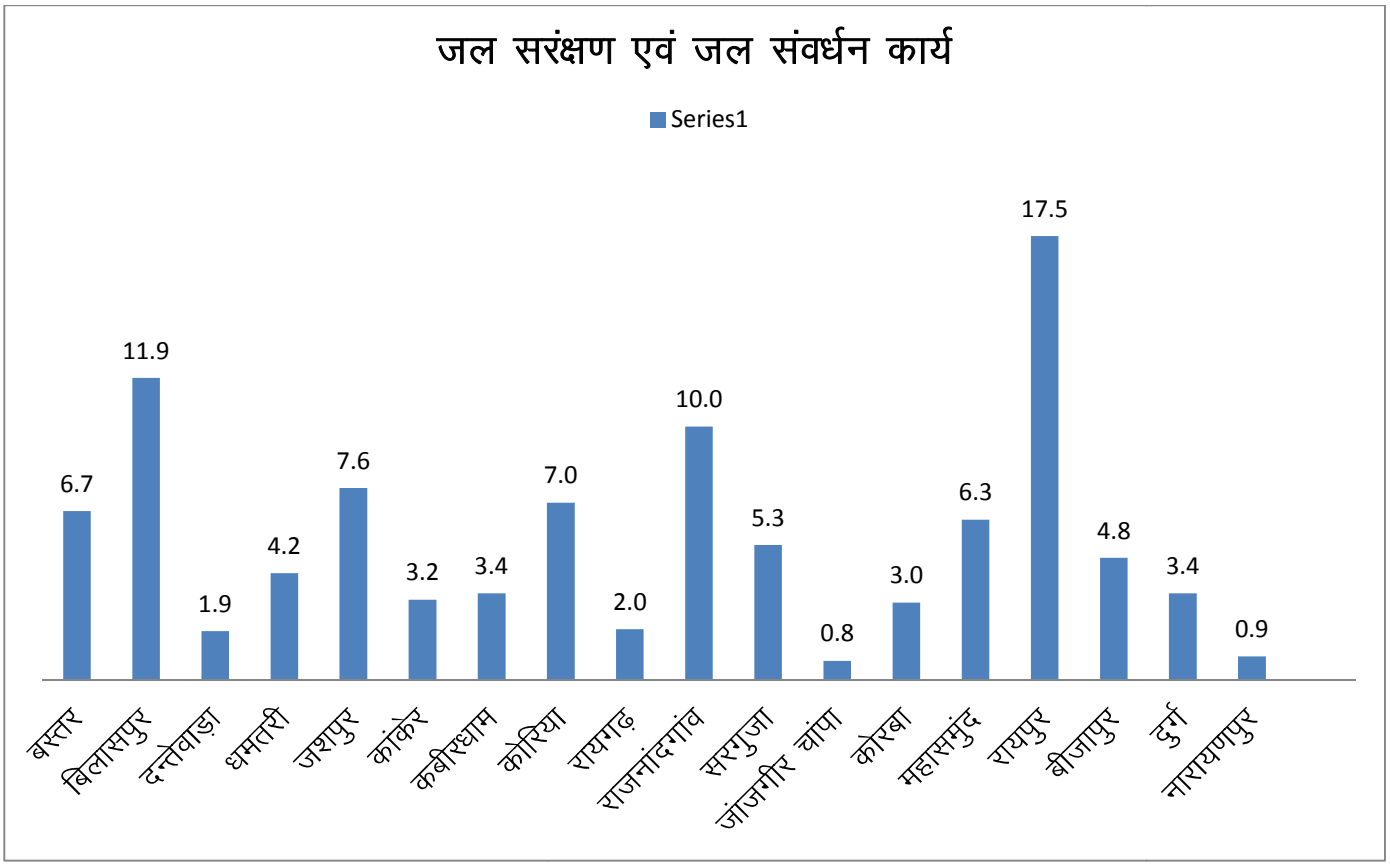

2. सूखा निवार.ा, वनरोप.ा और वृक्षारोप.ा के स्वीकृत कार्य का जिलेवार प्रतिशत
राज्य में कुल स्वीकृत कार्य 6008

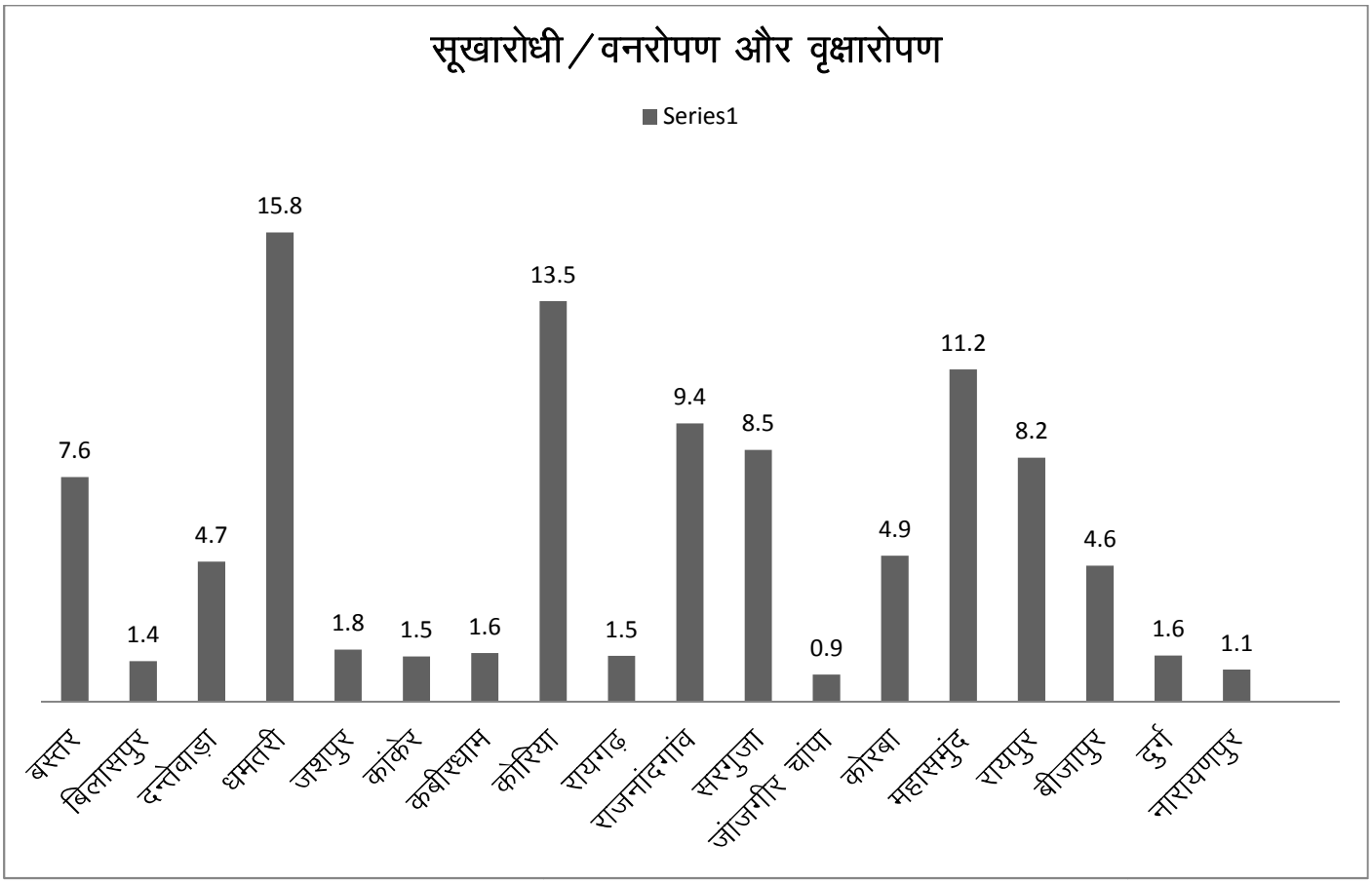

3. सिंचाई नहर, जिसमें मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्य के स्वीकृत कार्य का जिलेवार प्रतिशत राज्य में कुल स्वीकृत कार्य 2866

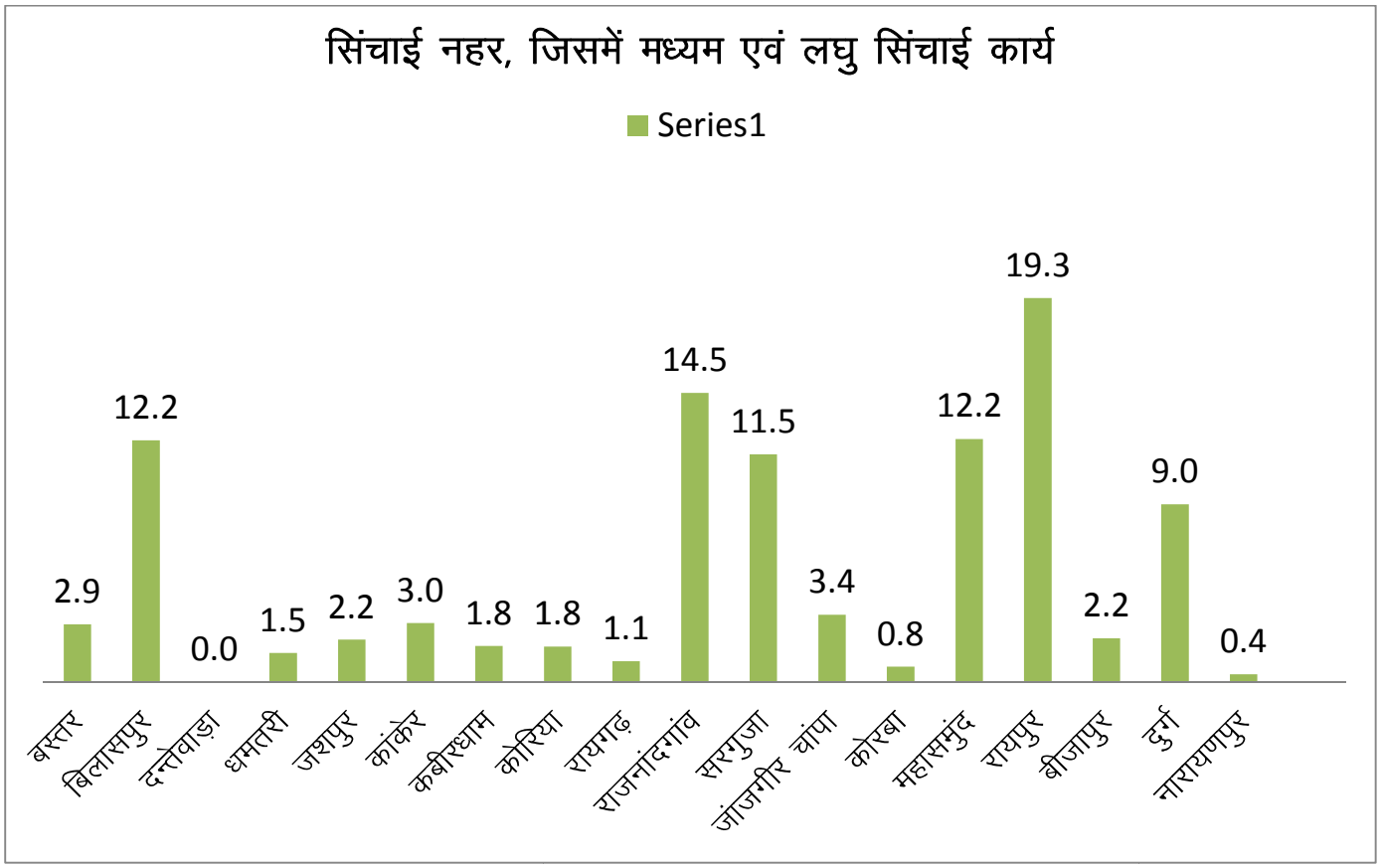

4. अजा/अजजा, बी.पी.एल परिवारों, भूमि सुधार के हितग्राही, इं.आ.यो. के हितग्राहियों, लघु एवं सीमांत कृषकों की स्वयं की भूमि के लिए सिंचाई, बागवानी एवं भूमि विकास के स्वीकृत कार्य का जिलेवार प्रतिशत

राज्य में कुल स्वीकृत कार्य 58628

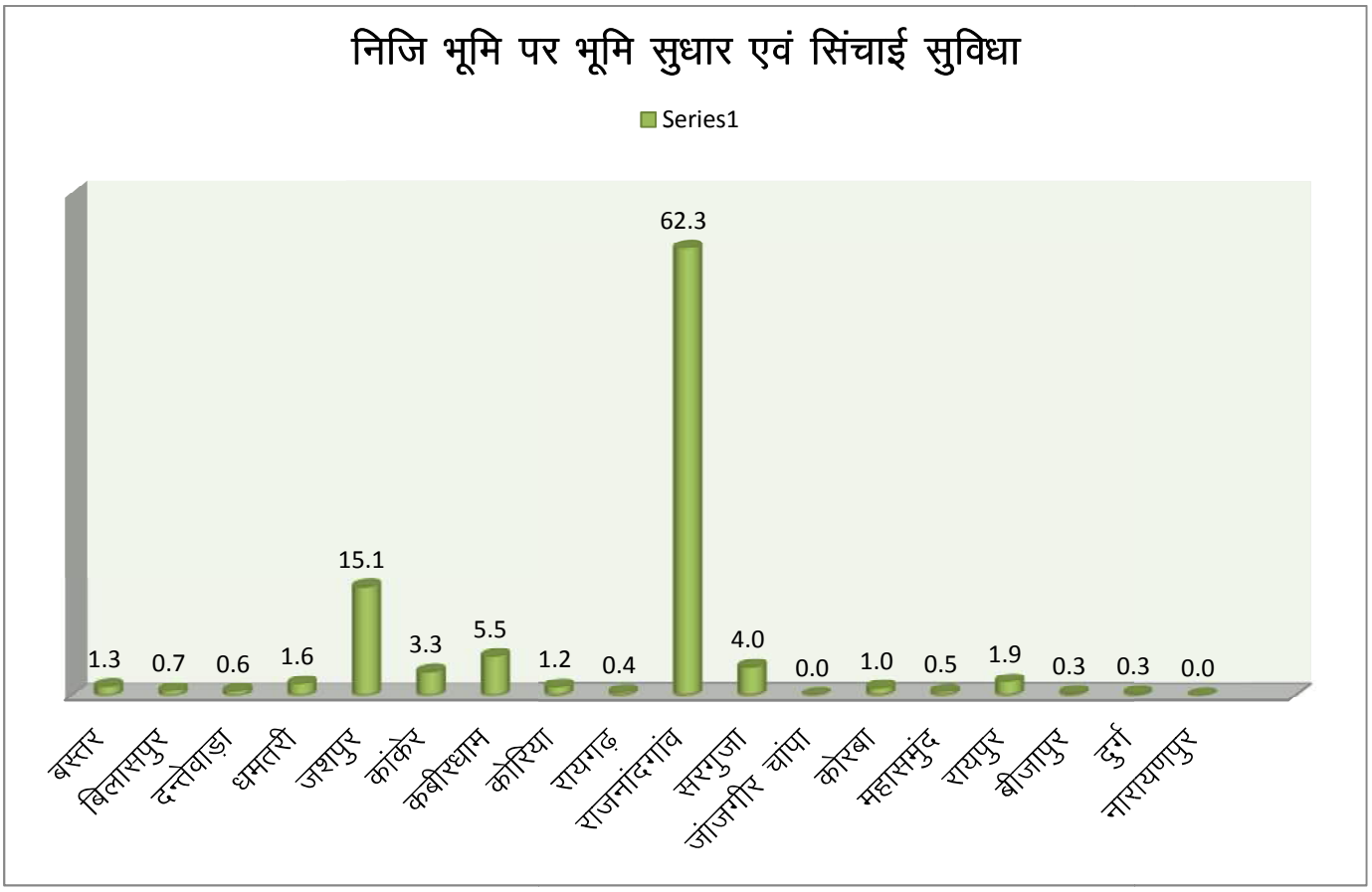

5. पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकर.ा के स्वीकृत कार्य का जिलेवार प्रतिशत
राज्य में कुल स्वीकृत कार्य 15335

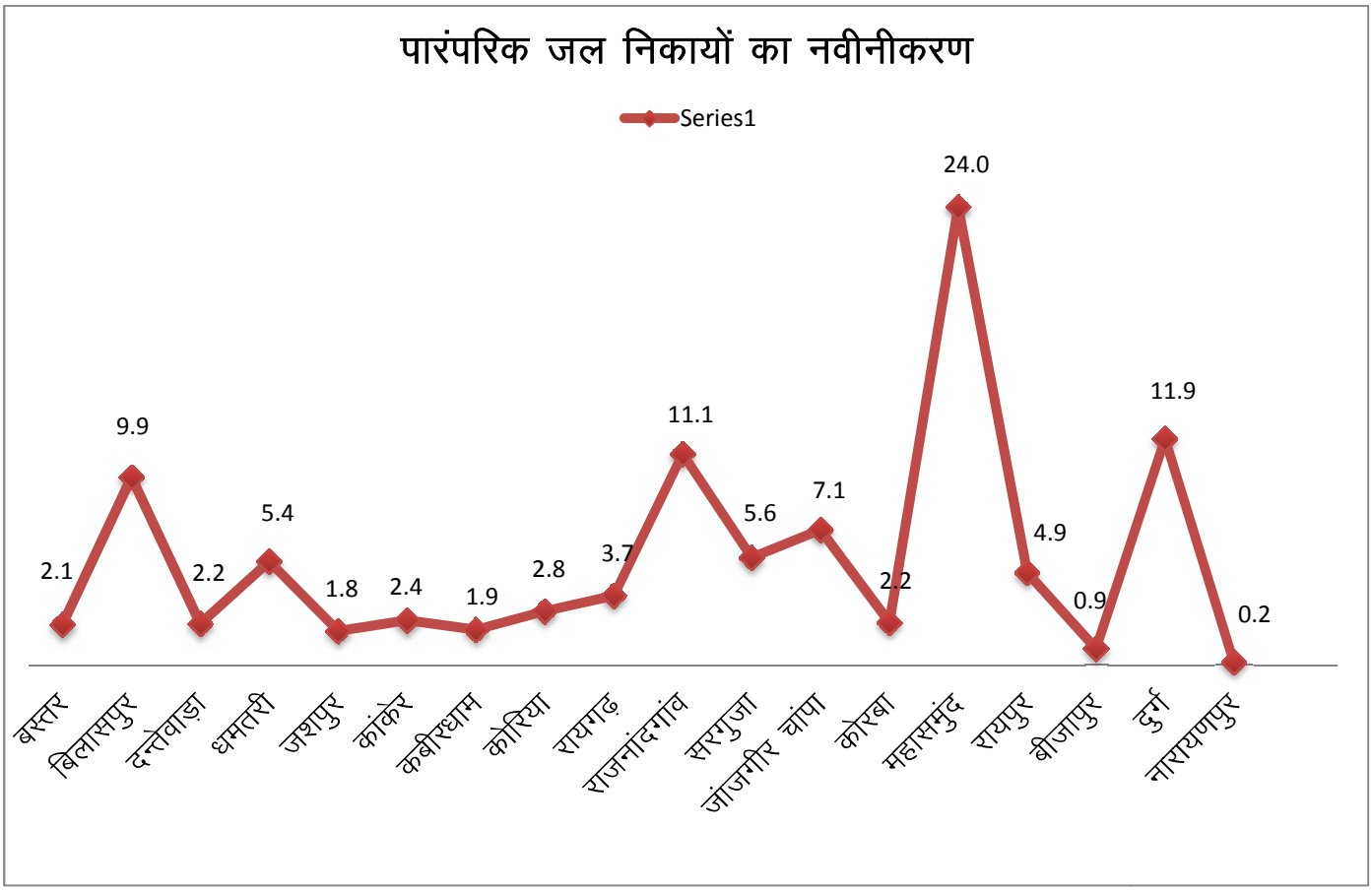

6. भूमि विकास के स्वीकृत कार्य का जिलेवार प्रतिशत
राज्य में कुल स्वीकृत कार्य 49285

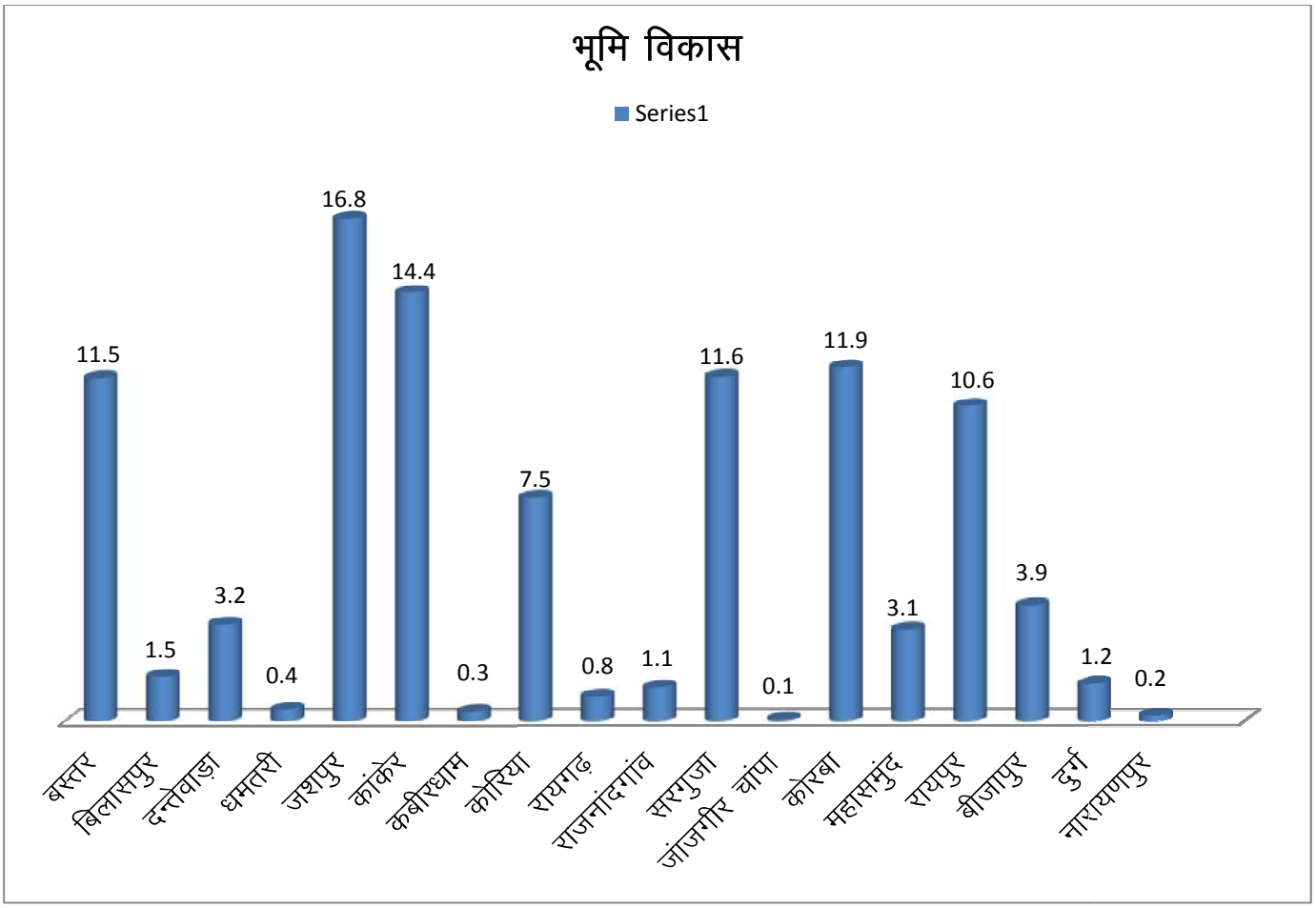

7. बाढ़ नियंत्र.ा कार्य के स्वीकृत कार्य का जिलेवार प्रतिशत
राज्य में कुल स्वीकृत कार्य 790

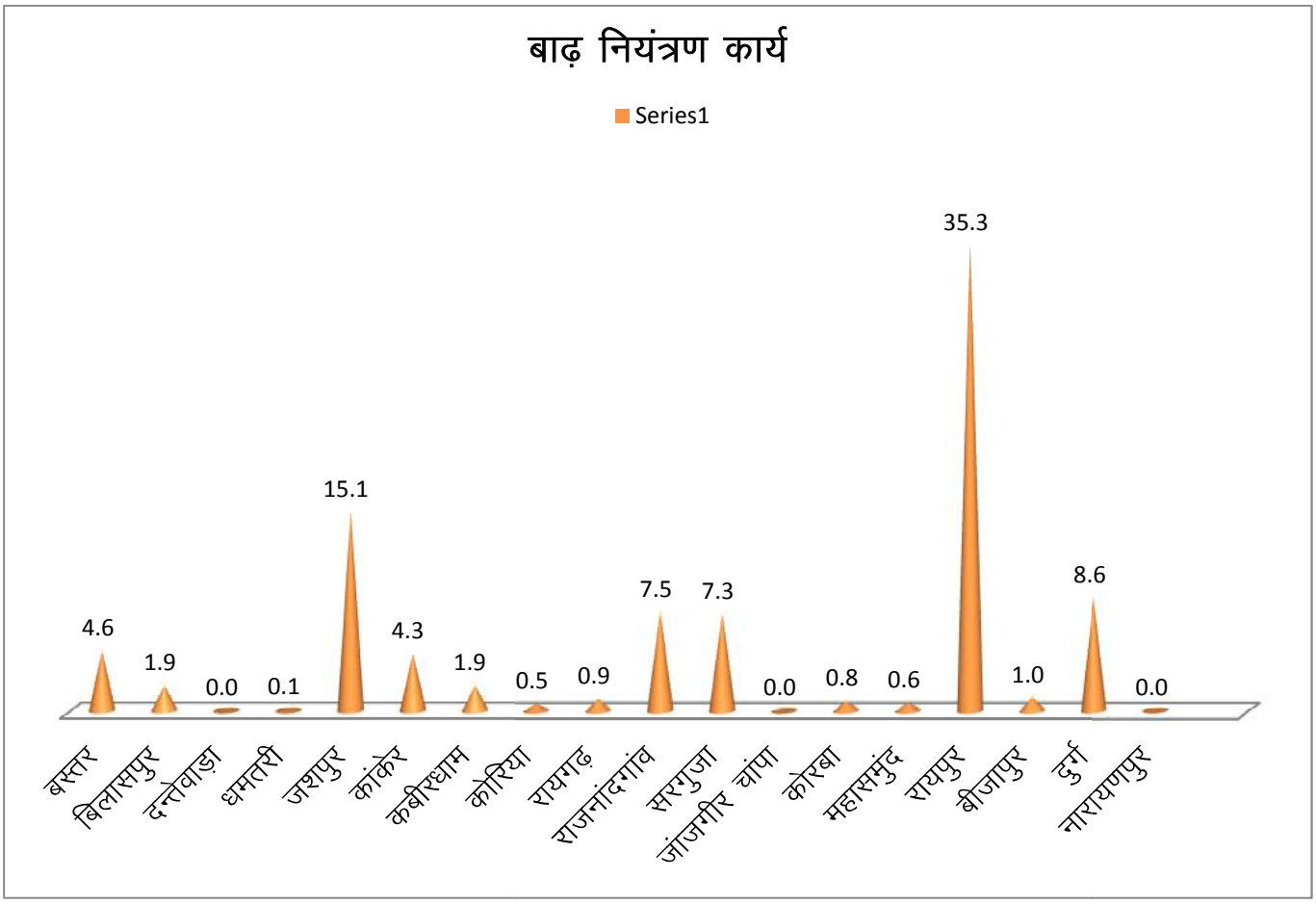

8. बारहमासी सड़क संपर्क मार्ग के स्वीकृत कार्य का जिलेवार प्रतिशत
राज्य में कुल स्वीकृत कार्य 31995

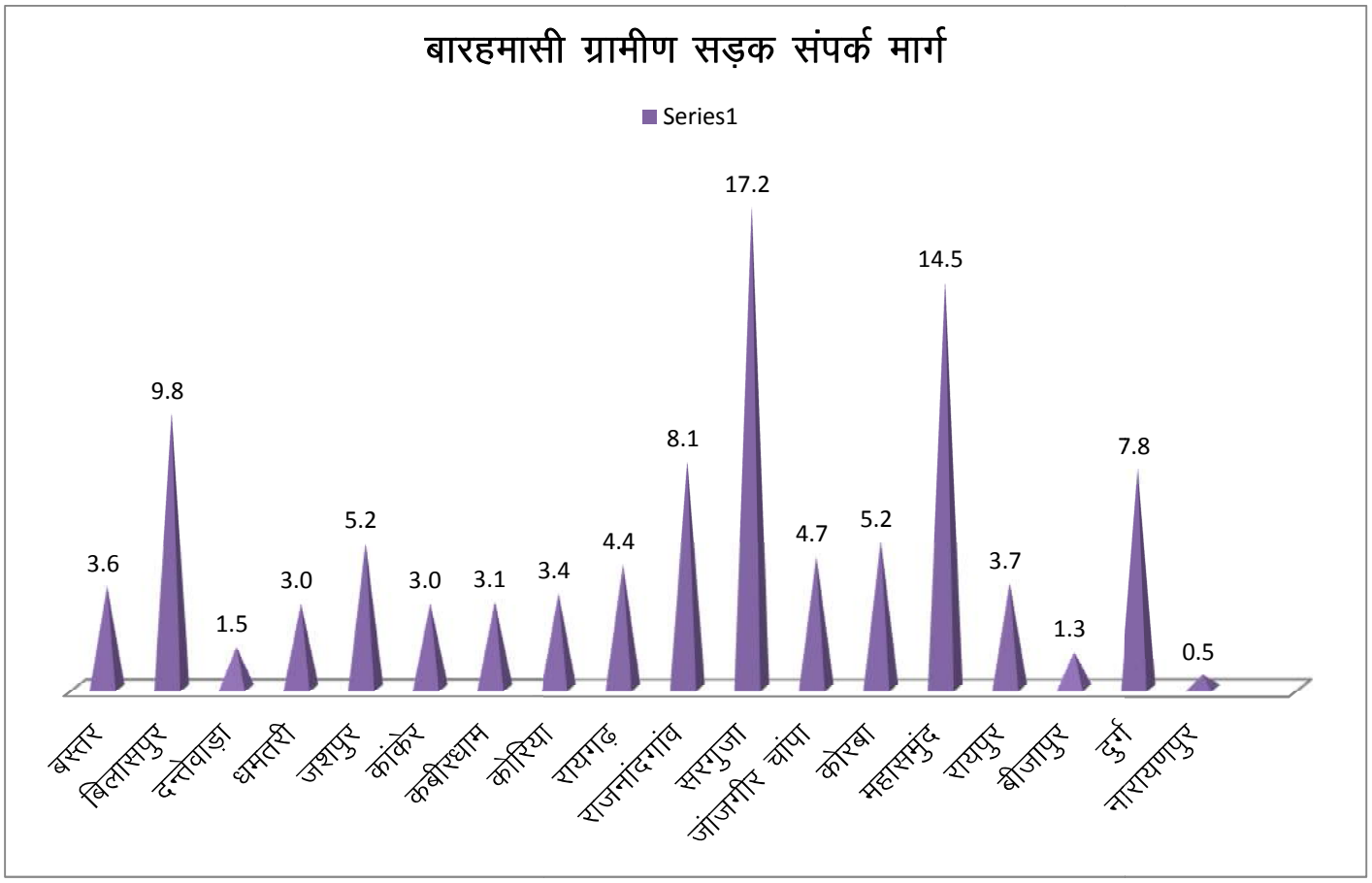

9. भारत निर्मा.ा राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं अन्य कार्य के स्वीकृत कार्य का जिलेवार प्रतिशत राज्य में कुल स्वीकृत कार्य 938

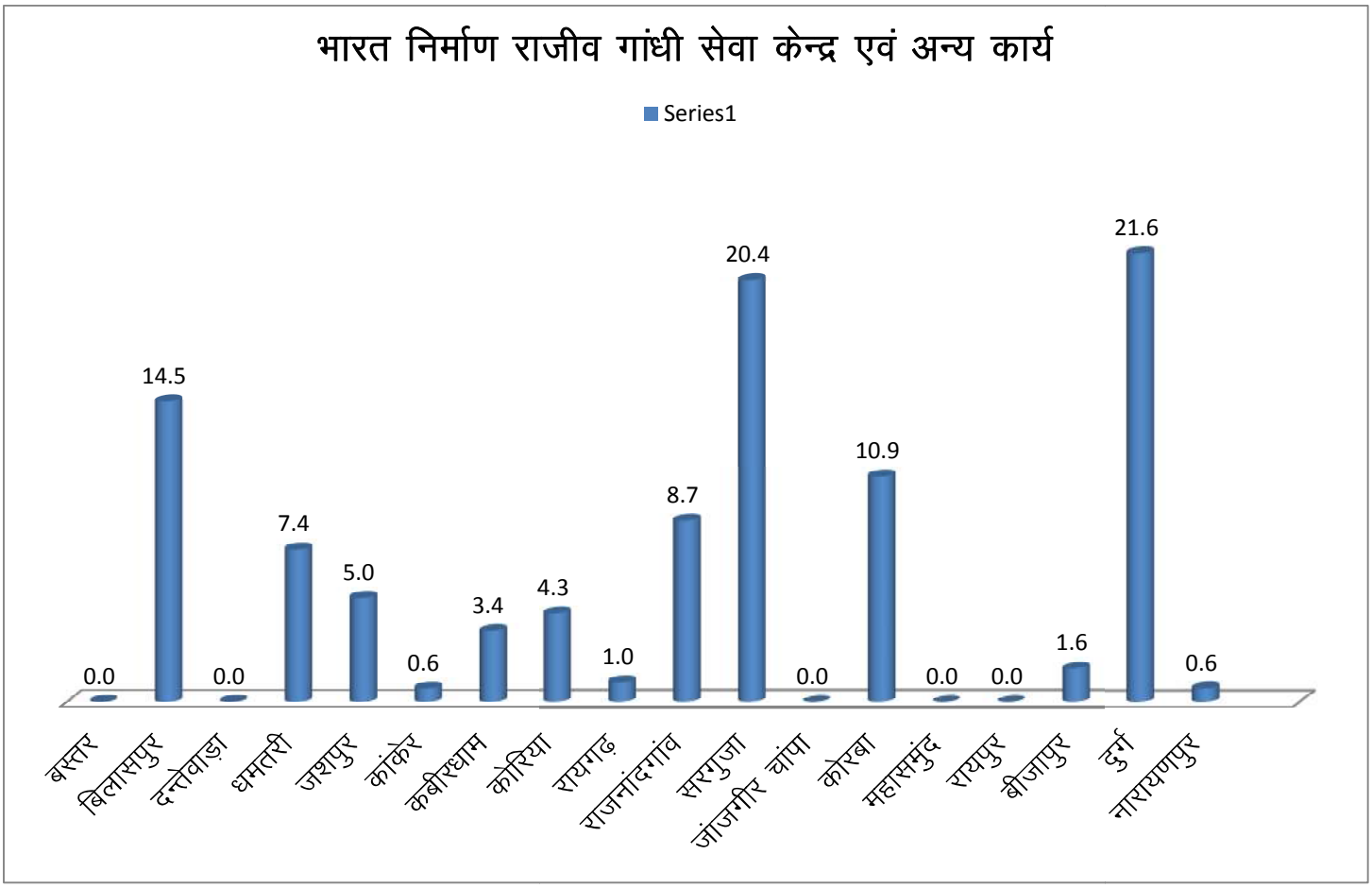

भारत निर्मा.ा राजीव गांधी सेवा केन्द्र

District	राजीव गांधी सेवा केन्द्र		
	पूर्ा	प्रगतिरत	कुल कार्य
BASTAR	0	8	8
BIJAPUR	0	0	0
BILASPUR	0	78	78
DANTEWADA	0	11	11
DHAMTARI	1	79	80
DURG	2	175	177
JANJGIR-CHAMPA	0	0	0
JASHPUR	0	26	26
KANKER	0	4	4
KAWARDHA	0	27	27
KORBA	0	92	92
KOREA	0	11	11
MAHASAMUND	0	3	3
NARAYANPUR	0	0	0
RAIGARH	0	1	1
RAIPUR	1	48	49
RAJNANDAGON	0	17	17
SURGUJA	3	113	116
Total	7	693	700

स्त्रोत (www-nrega-nic-in)

परिशिष्ट

योजना क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तर पर सृजित पदों की जानकारी

राज्य स्तर (स्वीकृत पद संख्या 45)

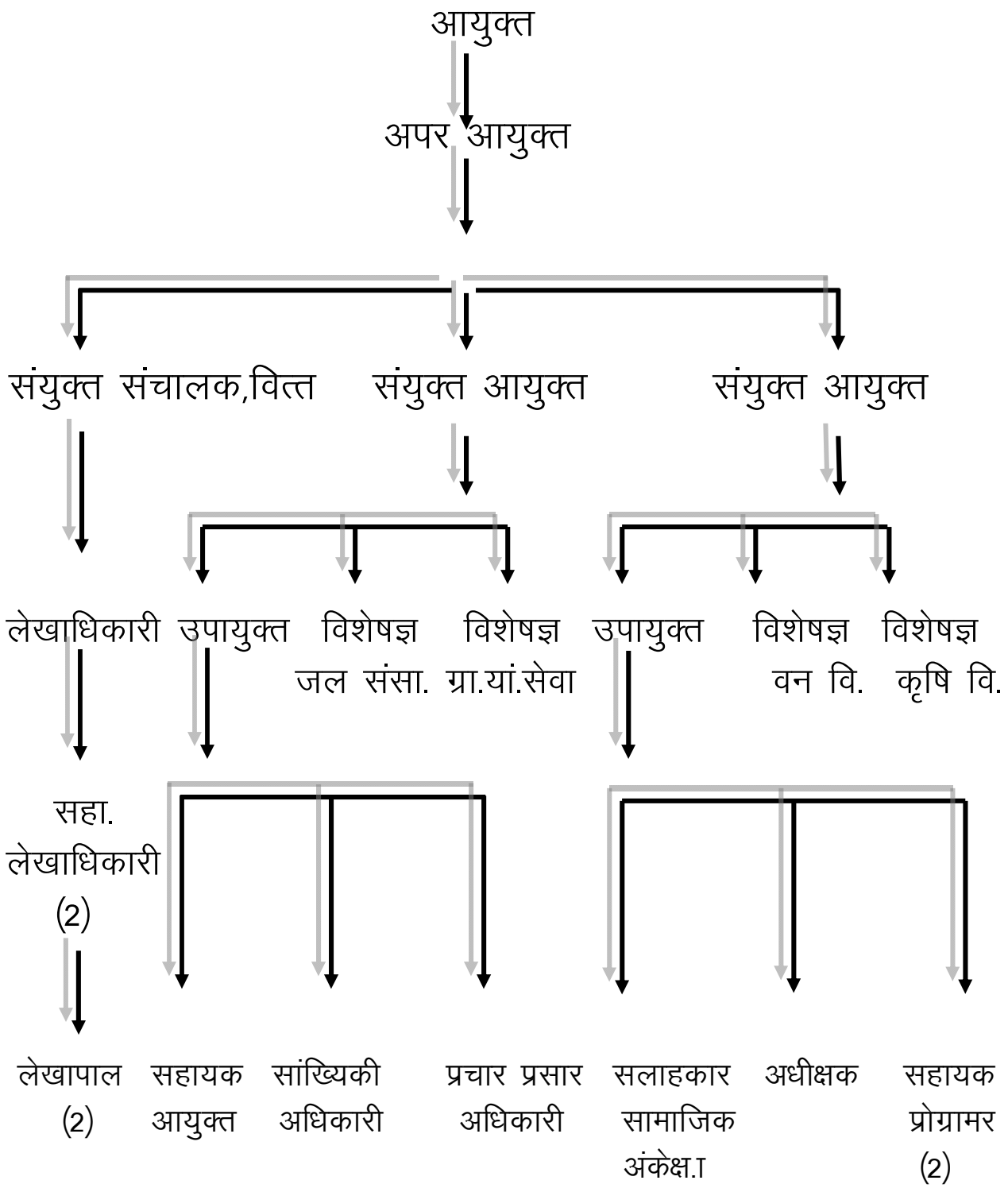

अन्य लिपिकीय अमला 22

जिला स्तर (स्वीकृत पद संख्या 558)

जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर)

↓

अति.जिला कार्यक्रम सन्वयक (मुख्य कार्य.अधि., जिला पंचायत)

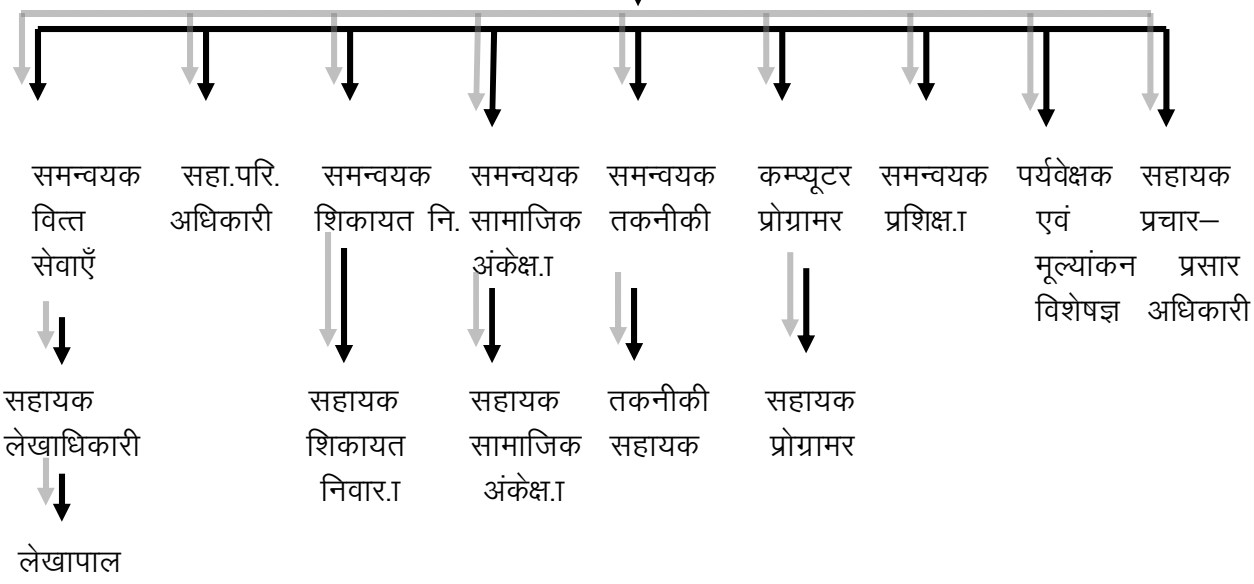

अन्य लिपिकीय अमला

जनपद स्तर (स्वीकृत पद संख्या 3942)

कार्यक्रम अधिकारी

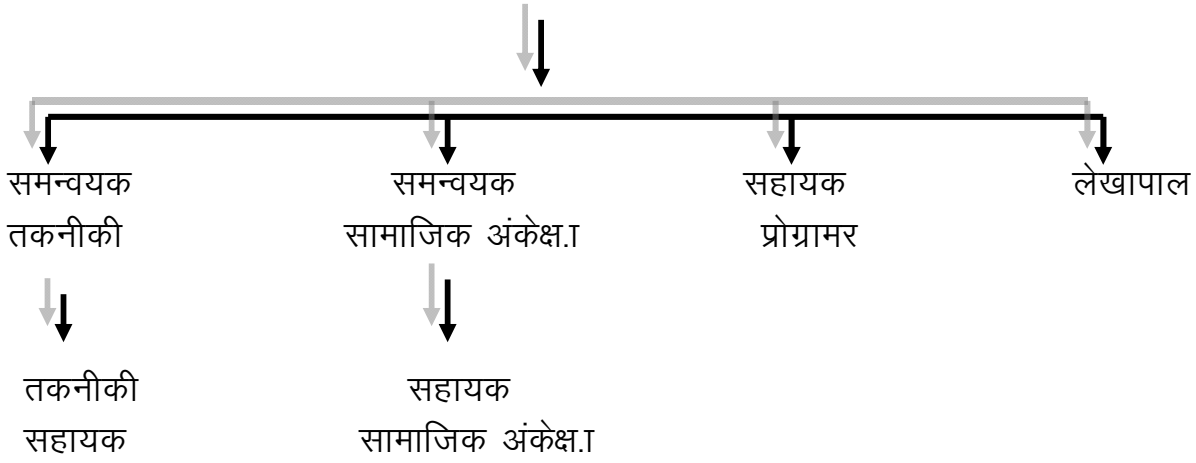

अन्य लिपिकीय अमला

ग्राम पंचायत स्तर

↓

ग्राम रोजगार सहायक (स्वीकृत पद संख्या 9734)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामी.ा रोजगार गांरटी योजना
(योजना प्रारंभ से वित्तीय वर्ष 2011–12, एक झलक)

	वित्तीय वर्ष (2006–07)	वित्तीय वर्ष (2007–08)	वित्तीय वर्ष (2008–09)	वित्तीय वर्ष (2009–10)	वित्तीय वर्ष (2010–11)	वित्तीय वर्ष (2011–12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रोजगार के अवसर						
योजना में शामिल जिले	11	15	16	16	18	18
कुल जॉब कार्ड जारी	18,48,766	28,75,796	33,54,795	35,74,607	39,11,126	41,200,50
मांग के आधार पर दिया गया रोजगार	12,56,737	22,84,963	22,70,425	20,25,845	24,85,581	26,57,441
मानव दिवस (लाख में)						
कुल	700-21	1316-10	1243-18	1041-57	1110-37	1200-17
अनुसूचित जाति	84-08	196-29	203-97	159-59	161-78	166-48
अनुसूचित जनजाति	318-98	544-77	513-65	397-85	405-42	449-26
अन्य	297-15	575-04	525-47	484-13	543-17	584-42
महिलाएँ	275-29	553-42	589-69	512-53	539-95	580-91
वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पू. ा करने वाले परिवार	1,30,302	2,56,071	2,51,674	1,60,851	1,84,497	1,93,935
	वित्तीय वर्ष (2006–07)	वित्तीय वर्ष (2007–08)	वित्तीय वर्ष (2008–09)	वित्तीय वर्ष (2009–10)	वित्तीय वर्ष (2010–11)	वित्तीय वर्ष (2011–12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निधि प्राप्ति एवं व्यय (लाख में)						
केंद्र द्वारा प्रदत्त राशि	70137-24	114318-71	163216-78	81488-74	169725-00	163855-88
कुल उपलब्ध राशि, ओ.बी. सहित	84095-94	151755-67	197358-83	161711-69	223309-26	249292-27
व्यय राशि (प्रतिशत में)	66882-16 (79-53%)	140183-20 (92-37%)	143447-52 (72-68%)	132266-65 (81-79%)	163397-81 (73%)	204610-41 (82%)
मजदूरी पर व्यय (प्रतिशत में)	43156-49 (64-53%)	90069-51 (64-25%)	91005-60 (63-44%)	85669-64 (64-77%)	115934-26 (71%)	146286-14 (72%)

2011–12 में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की स्थिति

- पायलट सामाजिक अंकेक्षा पूर्ा करने वाले 05 राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल
- अजा/अजजा को रोजगार प्रदाय करने में तीसरे क्रम पर
- लेबर बजट के विरूद्ध प्रगति में पाँचवें स्थान पर
- मजदूरी पर व्यय की दृष्टि से पाँचवें क्रम पर
- एम.आई.एस. के क्रियान्वयन में छठे क्रम में
- प्रति परिवार औसतन मानव दिवस के राष्ट्रीय औसत 42 की तुलना में राज्य का औसत 44
- महिलाओं को रोजगार प्रदाय करने में नवाँ क्रम
- कार्य पूर्ाता में नवाँ क्रम
- जिला सरगुजा 2010–11 में योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से पुरस्कृत
- वर्ष 2011–12 में योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिला कांकेर एवं ग्राम पंचायत गातापार विकासखंड छुईखदान, जिला राजनांदगांव भारत सरकार से पुरस्कृत

फोटोग्राफ्स

सामाजिक अंकेक्षा (प्रचार–प्रसार) :–

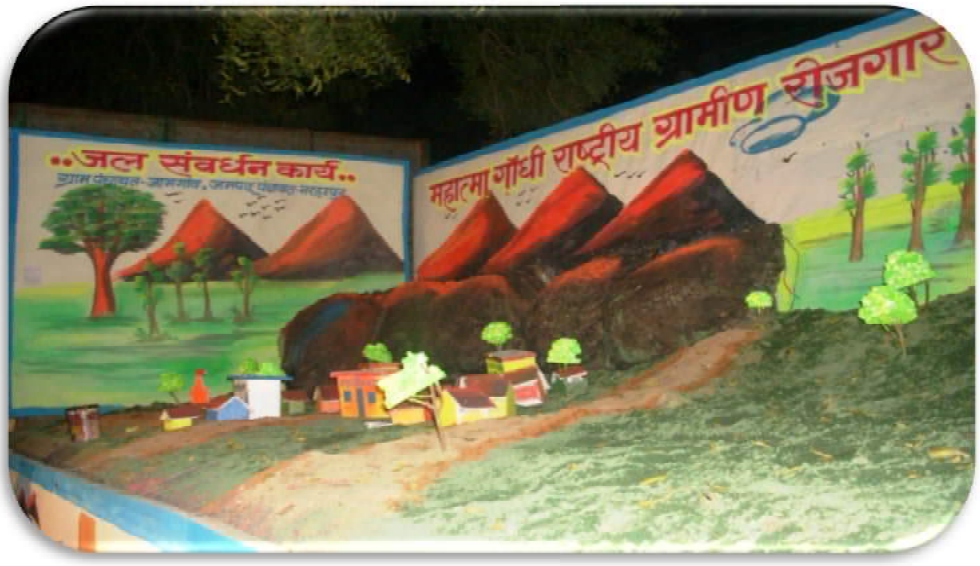

महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
कार्य का नाम- पिचेकट्टा नहर लायनिंग कार्य
चैन क्र. 226 से 242
एजेन्सी का नाम- कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग कांकेर
कार्य की लागत – रु. 15·22 लाख
दैनिक मजदूरी दर – रु. 122·00

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के
अन्तर्गत शिकायत हेतु- हेल्पलाइन टोल फ्री
नम्बर- 18002331545

शिकायत के खुलही पिटारा,
जनसुनवाई म होही एकर निपटारा ॥
सामाजिक अंकेक्षण हावय खुल्ला किताब
जम्मो काम के हो हो हिसाब ॥

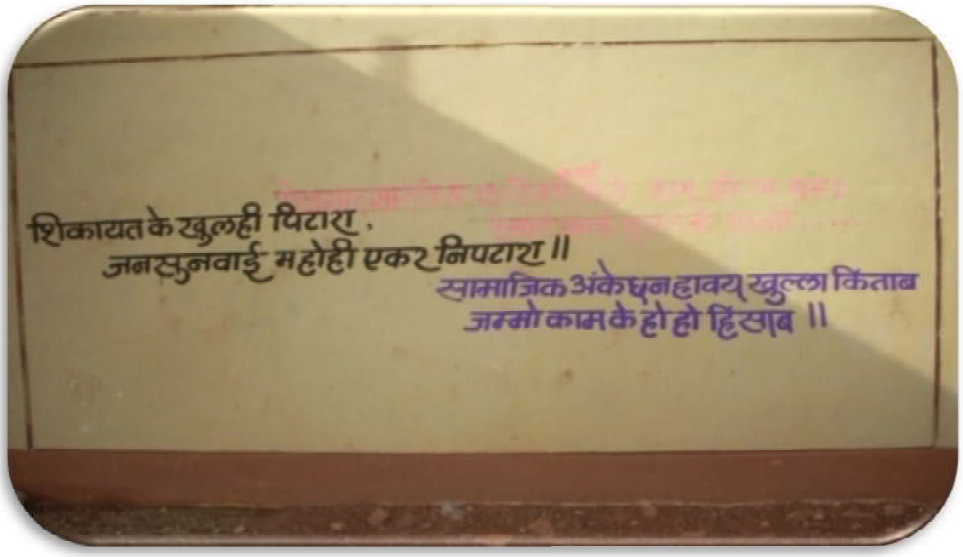

वृक्षारोप.ा

बैंक द्वारा मजदूरी भुगतान

राजीव गांधी सेवा केन्द्र

जन सुनवाई

कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिक

दस्तावेज निरीक्षा एवं स्थल निरीक्षा :–

स्थल निरीक्षा

दस्तावेज सत्यापन

कार्य स्थल पर सुविधा :–

एम.आई.एस एन्ट्री :–

नगद मजदूरी भुगतान

सड़क निर्मा.ा

शिकायत निवार.ा प्र.ाली :–

जांब कार्ड जारी

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

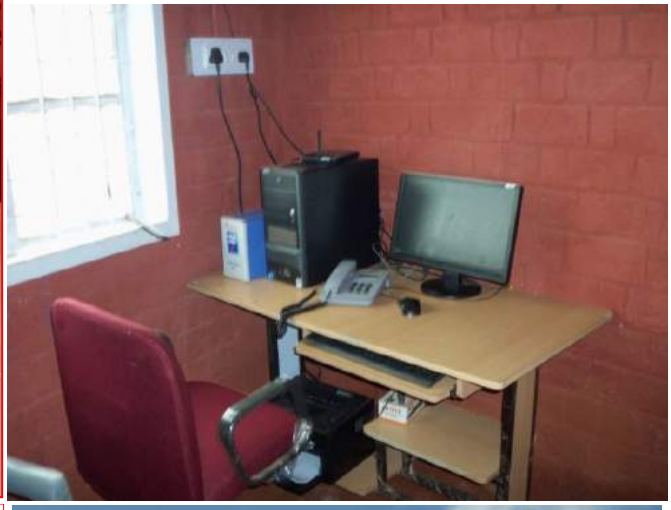

कार्यालय
आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
विकास भवन, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़